अध्याय II

ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

'सामग्री के प्रापण एवं प्रबंधन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सार

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) की प्रापण और सामग्री प्रबंधन कार्य शामिल हैं।

राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता अधिनियम (आरटीपीपी) 2012

राजस्थान सरकार ने आरटीपीपी अधिनियम 2012 को लागू (मई 2012) किया और आरटीपीपी अधिनियम और नियमों के तहत अधिसूचित (जनवरी 2013) किया। अधिनियम ने माल, सेवाओं और कार्यों की प्रापण से संबंधित सभी विद्यमान नियमों और विनियमों को निरस्त कर दिया। हालांकि, कम्पनी ने अधिनियम/नियमों के अनुसार क्रय नियमावली और मानक बोली दस्तावेज को संशोधित नहीं किया।

सामग्री की आवश्यकता का आंकलन

कम्पनी ने सामग्री की आवश्यकता के आंकलन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। वृत्तीय कार्यालयों और उप-खण्डों ने जोनल कार्यालय को कार्य-वार/उप-खण्डों वार सामग्री की आवश्यकता नहीं भेजी। मुख्य अभियंता (सामग्री प्रबंधन) ने जोनल मुख्य अभियंता द्वारा प्रस्तुत एडहॉक आवश्यकताओं के अनुसार निविदाएं आमंत्रित कीं, जो फील्ड कार्यालयों की वास्तविक आवश्यकता को इंगित नहीं करती थी।

निविदाओं को अंतिम रूप देना

69 चयनित निविदाओं की समीक्षा से पता चला कि कम्पनी ने 40 निविदाओं को 120 दिनों की निर्धारित समयावधि से परे अंतिम रूप दिया। निविदाओं को अंतिम रूप देने में 20 महीने तक की देरी हुई। इसके अलावा, संबंधित प्राधिकारी ने अगले उच्च प्राधिकारी की मंजूरी के बिना इन निविदाओं को अंतिम रूप देकर क्रय नियमावली का उल्लंघन किया।

सामग्री की खरीद में दक्षता और प्रभावशीलता

कम्पनी ने ₹ 13.62 करोड़ मूल्य के प्रीपेड एनर्जी मीटरों की खरीद की जिनमें आनलाइन रिचार्ज की सुविधा नहीं थी। भारत सरकार (जीओआई) के आदेश/दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित विनिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 1.54 करोड़ मूल्य के ट्रांसफॉर्मर्स का क्रय किया। इसके अलावा, ऐसे मामले भी मिले, जहां कम्पनी ने उचित आवश्यकता और स्टॉक की उपलब्धता का आंकलन किए बिना निर्धारित वितरण अनुसूची से पहले सामग्री को स्वीकार किया और उच्च दरों पर सामग्री की आपूर्ति के लिए पुनः क्रय आदेश दिए।

सामग्री नियंत्रण

कम्पनी ने सामग्री के महत्वपूर्ण स्तरों को तय नहीं किया और न तो मूल्य विश्लेषण और न ही चलन विश्लेषण किया। भंडारण दर भंडारण पर वास्तविक व्यय के आधार पर तय नहीं की गई थी। सहायक कंट्रोलर ऑफ़ स्टोर्स (एसीओएस) और उपखण्डीय स्टोर्स ने निर्धारित प्रारूप में सामग्री के रिकॉर्ड को नहीं बनाया। सभी चयनित एसीओएस में उप-खण्डों द्वारा प्रस्तुत इंडेंट में कार्य पहचान ज्ञापन का संदर्भ नहीं था और सामग्री, अनुमान

कार्डों की प्रस्तुति के बिना जारी की गई थी। चयनित उप-खण्डीय स्टोर में निर्धारित मानदंडों के अनुसार जॉब कार्ड, ट्रांसफॉर्मर मूवमेंट रजिस्टर और सामग्री अनुमान कार्ड नहीं रखे गए थे।

कम्पनी ने एसीओएस और उपखण्डीय स्टोर्स में सामग्री का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया। एसीओएस के भौतिक सत्यापन के अंतर्गत आने वाली अवधि एक से चार वर्ष के बीच थी। नमूना जाँच की गई 15 में से 12 उपखण्डों में पिछले दस वर्षों के दौरान स्टोर्स के भौतिक सत्यापन नहीं किये गए थे।

निष्क्रिय सामग्री, भंडारण, अधिशेष और कमियां और चोरी, आग और गबन

कम्पनी ने केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (सीटीएल) में सामग्री के परीक्षण के बिना, टर्नकी ठेकेदारों से ₹ 10.47 करोड़ की अधिशेष सामग्री को स्वीकार किया और बिना उचित अनुमोदन के उपयोग किया गया। साथ ही, स्टोर्स में ₹ 1.24 करोड़ की अधिशेष सामग्री अप्रयुक्त रही। कम्पनी ने आवश्यकता से अधिक सामग्री की प्रापण की और एसीओएस और उपखण्ड स्टोरों में ₹ 9.11 करोड़ के मूल्य की सामग्री, क्षेत्रीय कार्यालयों से मांग की कमी के कारण अभी भी अनुपयोगी पड़ी हुई थी।

एसीओएस और उपखण्डीय स्टोर्स ने न तो निर्धारित निर्देशानुसार रिकॉर्ड बनाया और न ही सामग्री को स्टैक किया। स्टॉक सत्यापनकर्ताओं ने सभी एसीओएस के भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में मार्च 2017 को ₹ 0.96 करोड़ की असमायोजित कमियां और ₹ 1.11 करोड़ की अधिशेष को इंगित किया। निर्धारित अभिलेखों का रखरखाव न करना, सक्षम अधिकारियों द्वारा निरीक्षण में कमी और सामग्री के अनुचित भंडारण से गबन और आग लगने पर सामग्री के नुकसान के अवसर प्रदान किए गए। इसके अलावा, कम्पनी ने उपखण्डीय भण्डारों पर सामग्री का बीमा नहीं किया।

सिफारिशें

निष्पादन लेखापरीक्षा में आठ सिफारिशें शामिल हैं यथा (i) आरटीपीपी अधिनियम 2012 और नियमों के अनुसार क्रय नियमावली का पुनरीक्षण, (ii) सामग्री की आवश्यकता के आंकलन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, जिससे आवश्यकता के अनुसार क्रय को सुनिश्चित किया जा सके, (iii) निर्धारित समय सीमा के भीतर निविदाओं को अंतिम रूप देना, अंतिमीकरण में देरी के मामलों में उच्च प्राधिकारी का अनुमोदन सुनिश्चित करना, निविदाओं के लिए और अनुबंधों को जारी करने के लिये निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना, (iv) निरीक्षण और परीक्षण प्रक्रियाओं को मजबूत करना और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा तकनीकी विशिष्टताओं का कड़ाई से पालन करना, (v) सामग्री नियंत्रण तकनीकें अपनाना और उचित नियंत्रण एवं निगरानी के लिये सामग्री के निर्धारित अभिलेख को संधारित करना, (vi) निर्दिष्ट अंतराल पर भौतिक सत्यापन करना और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में पाई गई विसंगतियों पर सुधारात्मक कार्यवाही करना, (vii) आई टी आधारित सामग्री प्रबंधन प्रणाली को लागू करना, और (viii) समय पर अवशिष्ट सामग्री का निपटान करना।

परिचय

2.1 राजस्थान (राज्य) में विद्युत वितरण नेटवर्क का प्रबंध राज्य आधारित तीन कम्पनियों (डिस्कॉम्स) यथा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल) द्वारा किया जाता है।

विद्युत की बढ़ती हुई मांग एवं नए उपभोक्ताओं के जुड़ने के साथ वितरण नेटवर्क को लगातार बढ़ाने की आवश्यकता है। एक बड़े एवं कुशल विद्युत वितरण नेटवर्क को बनाये रखने के लिए वृहत कोषों की जरूरत होती है। साथ ही, वर्तमान विद्युत प्रणाली के नियमित संचालन एवं रखरखाव (ओएण्डएम) तथा इसके पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। सामग्री के प्रापण एवं प्रबंध में मितव्ययिता, कुशलता एवं प्रभावशीलता सामग्री के अनावश्यक प्रापण, निष्क्रिय पड़ी सामग्री में कोषों की अवरुद्धता एवं सामग्री रखरखाव लागत को कम करती है।

राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा सभा (14 जुलाई 2016) में देखा गया कि सामग्री की छीजत, चोरी एवं सामग्री के अप्रयुक्त रहने के कारण डिस्कॉम्स बड़ी हानि वहन कर रही थी। कोपू द्वारा स्टोर्स एवं कार्यस्थल पर सामग्री/उपकरण के भण्डारण; सामग्री का उपयोग, एवं अवशिष्ट/अप्रचलित सामग्री के निस्तारण पर जोर देते हुए डिस्कॉम्स के सामग्री प्रबंध तंत्र की लेखापरीक्षा करने का सुझाव दिया गया (25 जुलाई 2016)।

वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा एवीवीएनएल (कम्पनी) के संबंध में की गई (नवम्बर 2017 से मई 2018)।

कम्पनी को 2013-18 के दौरान ₹ 11077.49 करोड़ की हानि हुई। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी की संचित हानियां ₹ 29485.37 करोड़ थी। कम्पनी द्वारा 2013-18 की अवधि के दौरान सामग्री के प्रापण पर ₹ 3134.14 करोड़ का व्यय किया गया। वर्ष 2013-18 की अवधि के दौरान कम्पनी का औसतन अंतिम स्टॉक (उपखण्डीय भण्डार को छोड़कर) ₹ 93.47 करोड़ एवं ₹ 153.23 करोड़ के मध्य रहा जबकि सामग्री का उपभोग स्तर 1.18 एवं 2.70 माह के मध्य रहा।

2.2 *प्रापण एवं सामग्री प्रबंध कार्य*

कम्पनी में सामग्री प्रापण एवं प्रबंध का कार्य मुख्य अभियंता द्वारा निर्देशित सामग्री प्रबंध विंग (एमएम) द्वारा निष्पादित किया जाता है। एमएम विंग में दो वृत्त हैं: सामग्री प्रबंध (एमएम) वृत्त तथा निरीक्षण एवं भण्डार (आईएण्डएस) वृत्त। सामग्री की आवश्यकता यथा ट्रांसफॉर्मर, कण्डक्टर, एनर्जी मीटर, केबल, सेक्शनाईलसर इत्यादि का अंतिमीकरण एवं क्रय का कार्य सामग्री प्रबंध एवं प्रापण वृतों में निहित हैं। एमएम वृत्त अधीक्षण अभियंता (एमएम) के निरीक्षण में कार्यशील है जिसके अधीन दो कार्यकारी अभियंता कार्यरत हैं। आईएण्डएस वृत्त स्टोर्स के प्रबंध, सामग्री की जांच, स्टोर्स के निरीक्षण, एवं नीलामी के द्वारा अवशिष्ट के निस्तारण के कार्य में संलग्न है। जुलाई 2016 तक सामग्री प्रबंध का कार्य उपभण्डार नियंत्रक (डीसीओएस) के नियंत्रणाधीन था। कम्पनी द्वारा सामग्री संबंधी कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) का पद सृजित किया गया (अगस्त 2016)। अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) के अधीन कार्यरत सहायक भण्डार नियंत्रक (एसीओएस) को सामग्री की प्राप्ति, फील्ड

कार्यालयों को सामग्री जारी करने, तथा अवशिष्ट सामग्री के संग्रहण एवं निस्तारण का कार्य सौंपा गया है। उपखण्ड कार्यालयों द्वारा भी अपने स्वयं के स्टोर्स रखे जाते हैं एवं एसीओएस से सामग्री प्राप्त करते हैं। उपखण्डीय भण्डारों का रखरखाव भण्डारपालों द्वारा किया जाता है जो उपखण्ड के सहायक अभियंता को रिपोर्ट करते हैं। कम्पनी की एमएम विंग की पदानुक्रम व्यवस्था निम्नलिखित चार्ट प्रदर्शित करता है-

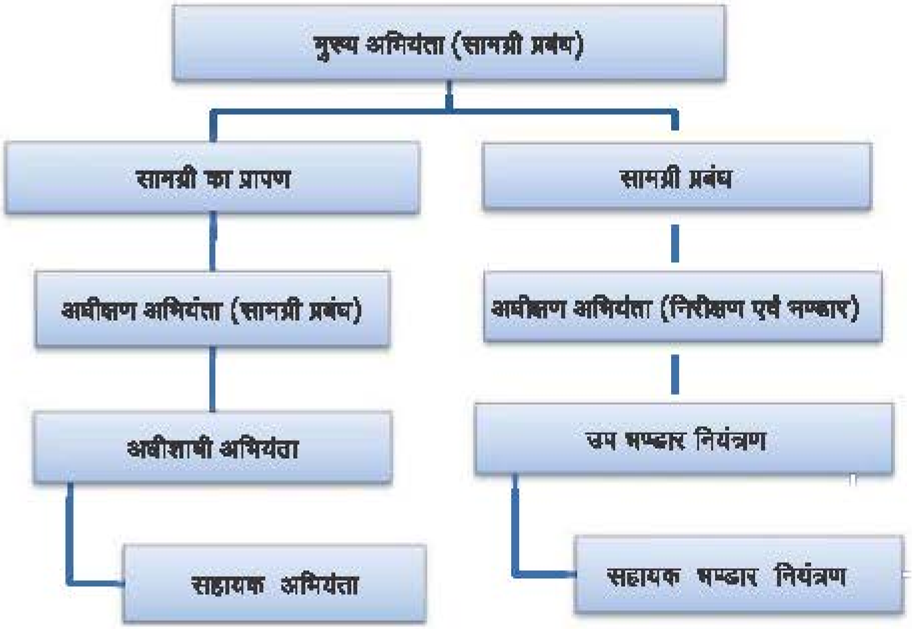

क्रय किये जाने वाली सभी मदों के तकनीकी मानक एवं वाणिज्यिक विशिष्ट विवरण तीनों डिस्कॉम्स में एक समान हैं तथा एक तकनीकी एवं वाणिज्यिक विशिष्ट विवरण समिति[1] द्वारा इन्हें अन्तिम रूप दिया जाता है। ₹ 50 लाख तक के क्रय के मामले अधीक्षण अभियंता (एसई) स्तरीय क्रय समिति द्वारा निश्चित किये जाते हैं। ₹ 50 लाख से अधिक एवं ₹ 1.50 करोड़ तक की वित्तीय प्रभाव वाली निविदाएं मुख्य अभियंता (सीई) स्तरीय क्रय समिति द्वारा निश्चित किये जाते हैं। ₹ 1.50 करोड़ से अधिक मूल्य के क्रय के मामले निगम स्तरीय क्रय समिति[2] (सीएलपीसी) द्वारा निश्चित किये जाते हैं जिसका अध्यक्ष कम्पनी का प्रबंध निदेशक होता है। समान रूप से क्रय की जाने वाली मदों के लिए तीनों डिस्कॉम्स द्वारा एक ही प्रणाली को अपनाया गया जिसे 2017-18 से समाप्त कर दिया गया।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.3 निष्पादन लेखापरीक्षा में 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान कम्पनी के प्रापण एवं सामग्री प्रबंध संबंधी कार्यों को सम्मिलित किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में सीई (एमएम) कार्यालय में अंतिम रूप दी गई कुल 417 निविदाओं में से प्रतिचयन के आधार पर

---

1 तीनों डिस्कॉम्स के सीई/डिप्टी सीई (क्रय शाखा) एवं जेवीवीएनएल के सीई (ओएण्डएम)/ जोनल सीई, मुख्य लेखाधिकारी (आंतरिक अंकेक्षण) एवं एसई (एमएम/ प्रापण)।

2 समिति के अन्य सदस्य निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी), सीई (एमएम) एवं जोनल मुख्य अभियंता (अजमेर जोन) थे। संबंधित एसई (एमएम)/ एसई (प्रापण) एवं सीएओ (लेखा, करारोपण एवं बजट) भी चर्चा के दौरान सहयोगी थे।

चयन की गई 69 निविदाओं[3] की विस्तृत समीक्षा को सम्मिलित किया गया। कम्पनी द्वारा 2013-18 के दौरान किये गये कुल क्रय (₹ 3134.14 करोड़) में इन उच्च मूल्य की निविदाओं (₹ 1904.92 करोड़) का 60.78 प्रतिशत भाग था। सामग्री प्रबंध कार्य की समीक्षा 12 एसीओएस कार्यालयों में से चार[4] एसीओएस एवं इनके अधीन 15 उपखण्डीय कार्यालयों[5] में की गई जिनका चयन 2013-18 के दौरान सामग्री के अधिकतम उपभोग के आधार पर किया गया था।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.4 निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारण करने के लिए की गई कि क्याः

- सामग्री की आवश्यकता निर्धारण करने के लिए एक पर्याप्त प्रणाली विद्यमान थी;
- सामग्री का प्रापण मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावपूर्ण था;
- कम्पनी का सामग्री प्रबंध तंत्र कुशल एवं प्रभावकारी था एवं
- सामग्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली पर्याप्त थी एवं अप्रचलित / अवशिष्ट मदों का निस्तारण तुरन्त कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.5 लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मापदण्डों को निम्नलिखित स्रोतों से अपनाया गयाः

- क्रय नियमावली, भण्डार नियमावली एवं सामग्री के प्रापण एवं प्रबंध से संबंधित कार्यालय आदेश/ परिपत्र;
- अनुबंध की सामान्य शर्तें, निविदा एग्रीमेंट एवं कार्यादेश/ क्रयादेश में लिखित नियम एवं शर्तें;
- बजट एवं सामग्री के प्रापण में शामिल विभिन्न समितियों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त;
- राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता (आरटीपीपी) अधिनियम, 2012 एवं आरटीपीपी नियम, 2013 तथा
- कम्पनी की प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) एवं अन्य सम्बद्ध अभिलेख।

लेखापरीक्षा कार्यविधि

2.6 लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लेखापरीक्षा मापदण्डों के संदर्भ में अपनाई गई कार्यविधि में निम्नलिखित को समाहित किया गयाः

- प्रविष्टि सभा (फरवरी 2018) के दौरान सरकार/ कम्पनी के समक्ष लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं लेखापरीक्षा मापदण्डों को स्पष्ट करना;

---

3 ₹ 25 करोड़ से अधिक मूल्य वाली 33 निविदाएं (कुल 33 निविदाओं का शत प्रतिशत), ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं ₹ 25 करोड़ तक मूल्य वाली 11 निविदाएं (कुल 54 निविदाओं का 20 प्रतिशत), ₹ एक करोड़ से अधिक एवं ₹ 10 करोड़ तक मूल्य वाली 17 निविदाएं (कुल 173 निविदाओं का 10 प्रतिशत) एवं ₹ एक करोड़ तक मूल्य वाली आठ निविदाएं (कुल 157 निविदाओं का 5 प्रतिशत)।

4 अजमेर शहर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं सीकर।

5 चयनित एसीओएस के अधीन कुल 76 उपखण्डों में से 20 प्रतिशत उपखण्डों का चयन किया गया।

- कम्पनी के प्रधान कार्यालय, सामग्री प्रबंध विंग तथा चयनित एसीओएस एवं उपखण्डों पर अभिलेखों की संवीक्षा करना;
- लेखापरीक्षा प्रश्नावली, उनका जवाब लेना एवं प्रबंधन के साथ चर्चा करना;
- 6 जुलाई 2018 को आयोजित समापन सभा के दौरान लेखापरीक्षा परिणामों पर सरकार/ कम्पनी के साथ चर्चा करना;
- लेखापरीक्षा परिणामों पर सरकार/ कम्पनी की टिप्पणी/ प्रत्युत्तरों (जुलाई 2018) को समाहित करने बाद सरकार/ कम्पनी को प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना (सितम्बर 2018) एवं

इस रिपोर्ट में सरकार एवं कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तरों (अक्टूबर/नवम्बर 2018) को पूर्ण रूप से ध्यान में रखा गया है।

आभार

2.7 इस लेखापरीक्षा के दौरान कम्पनी एवं इसके फील्ड कार्यालयों तथा राजस्थान सरकार द्वारा किये गये सहयोग के लिए हम आभार प्रकट करते हैं।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.8 लेखापरीक्षा परिणाम जो मुख्यतः आरटीपीपी अधिनियम 2012/ नियम 2013 के क्रियान्वयन, सामग्री के प्रापण एवं एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स के स्तर पर सामग्री के प्रबंध से संबंधित मामलों को सम्मिलित करते हैं, की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में (अनुच्छेद 2.9 से 2.22) नीचे की गई है। ये लेखापरीक्षा परिणाम केवल हमारे द्वारा चयन किये गये नमूनों पर आधारित हैं तथा कम्पनी में ऐसे अन्य मामलों के होने की भी संभावना है। अतः सरकार/कम्पनी से समान प्रकार की कमियां/अनियमितताऐं के अन्य मामलों की समीक्षा किये जाना अपेक्षित है तथा समान प्रकार की कमियों/अनियमितताओं के मामले में सुधारात्मक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

आरटीपीपी अधिनियम 2012/ नियम 2013 का क्रियान्वयन

2.9 सामग्री प्रापण एवं स्टोर्स संबंधित कार्यों के नियमन के लिए कम्पनी द्वारा तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आरएसईबी) जो जुलाई 2000 में पांच कम्पनियों में विभाजित हो गया था, की क्रय एवं भण्डार नियमावली का अनुसरण किया गया। कम्पनी द्वारा समय समय पर क्रय नियमावली को संशोधित किया गया।

लोक प्रापण के नियमन के लिए राजस्थान सरकार द्वारा आरटीपीपी अधिनियम, 2012 लागू किया गया (22 मई 2012) एवं आरटीपीपी अधिनियम एवं नियम 2013 अधिसूचित किये (जनवरी 2013) जो कि अधिसूचना की तिथि से प्रभावशील थे। आरटीपीपी अधिनियम, 2012 राज्य सरकार द्वारा धारित अथवा नियंत्रित राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर लागू होता है (अधिनियम की धारा-3)। आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 86 द्वारा इनके लागू होने की तिथि से माल के प्रापण, सेवाओं अथवा कार्यों से संबंधित सभी नियमों एवं विनियमों

को उस सीमा तक निष्प्रभावी कर दिया गया जिस सीमा तक ये चीजें आरटीपीपी नियमों के अंतर्गत आती थी। अधिनियम की धारा 56 द्वारा कम्पनी को दिशानिर्देशों, क्रियाविधियों, सामान्य प्रपत्रों, मानक विशिष्ट विवरणों एवं आरटीपीपी अधिनियम 2012/नियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप नियमावली को जारी करने की अनुमति प्रदान की गई। साथ ही, धारा 56 के अंतर्गत एक प्रापण करने वाली कम्पनी द्वारा जारी किये गये सभी दिशानिर्देशों को राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाना आवश्यक था।

डिस्कॉम्स समन्वय फोरम[6] (डीसीएफ) द्वारा तीनों डिस्कॉम्स को क्रय नियमावली की समीक्षा करने एवं इसमें निर्दिष्ट की गई क्रियाविधियां आरटीपीपी अधिनियम 2012/ नियम 2013 के प्रावधानों/वाक्यांशों के अनुरूप होने को सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया (फरवरी 2014)। डिस्कॉम्स द्वारा आरटीपीपी अधिनियम 2012/ नियम 2013 के अनुसार 12 मुख्य प्रावधानों के संबंध में अपनी क्रय नियमावली का पुनरीक्षण करने के स्थान पर राज्य सरकार को इसके छः[7] प्रावधानों में ढील प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया (अप्रैल 2016) लेकिन राज्य सरकार से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ (मई 2018)। बाद में, डिस्कॉम्स के अध्यक्ष द्वारा आरटीपीपी अधिनियम 2012/ नियम 2013 के अनुसार मानक निविदा प्रलेख के साथ साथ क्रय एवं भण्डार नियमावली को तैयार/पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति गठित की गई (8 अगस्त 2016)। तथापि, हमने देखा कि क्रय नियमावली, मानक निविदा प्रलेख एवं भण्डार नियमावली का पुनरीक्षण नहीं किया गया था (मार्च 2018)।

हमने देखा कि कम्पनी की निगम स्तरीय क्रय समिति (सीएलपीसी) ने आरटीपीपी नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रचलित *'निविदादाताओं को निर्देश (आईटीबी)'* एवं *'अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी)'* के निर्दिष्ट प्रावधानों[8] को चयनित रूप से संशोधित करने का निर्णय किया (अप्रैल 2017)। सीएलपीसी ने यह भी निर्णय किया कि आरटीपीपी अधिनियम 2012/ नियम 2013 में निर्दिष्ट प्रावधान आईटीबी एवं जीसीसी में निर्दिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त अधिनियम/ नियमों के अनुसार प्रचलन में रहेंगे। तथापि, कम्पनी ने यह मामला आवश्यक अनुमोदनार्थ अपने संचालक मण्डल (बीओडी) के सामने नहीं रखा एवं बीओडी द्वारा अनुमोदन के अभाव में सीएलपीसी का निर्णय मार्च 2018 तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका। इसी बीच, तीनों डिस्कॉम्स की तकनीकी विशिष्ट विवरण अनुमोदन समिति (टीएसएसी) ने आरटीपीपी अधिनियम 2012/ नियम 2013 के अनुरूप निविदा सुरक्षा जमा एवं निष्पादन सुरक्षा के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय किया (अक्टूबर 2017)। तदनुसार कम्पनी ने बीओडी के अनुमोदन के बिना ही निविदा सुरक्षा जमा एवं निष्पादन सुरक्षा जमा के संबंध में आरटीपीपी अधिनियम/ नियमों के प्रावधानों को अपना लिया (अक्टूबर 2017)।

इस प्रकार, कम्पनी अक्टूबर 2017 तक आरटीपीपी अधिनियम/ नियमों के अनुरूप 12 प्रावधानों को अपनाते हुए प्रापण प्रक्रिया के पुनरीक्षण को सुनिश्चित नहीं कर सकी। यहां तक कि इसके बाद भी कम्पनी द्वारा केवल दो प्रावधानों को लागू करके आरटीपीपी अधिनियम/

6 यह तीनों डिस्कॉम्स का एक समान फोरम है जिसका अध्यक्ष डिस्कॉम्स का अध्यक्ष होता है तथा चर्चा करने एवं एक समान/ अंतर्संबंधित मामलों पर पारस्परिक निर्णय लेने के लिए इसमें प्रत्येक डिस्कॉम के प्रबंध संचालक एवं अन्य प्रतिनिधि होते हैं।

7 निविदा सुरक्षा, निष्पादन सुरक्षा, निविदादाताओं के बीच मात्रा का विभाजन, परीक्षण आदेश, सुरक्षा जमा तथा राजस्थान के बाहर स्थित एवं राजस्थान की फर्मों के बीच दरों की तुलना।

8 निविदा सुरक्षा, गारण्टी की विधि, सुरक्षा जमा, मोलभाव, पुनरादेश इत्यादि।

नियमों के अनुरूप प्रापण प्रक्रिया वाले चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। आरटीपीपी अधिनियम 2012/ नियम 2013 का वर्णन **अनुबंध-3** में दिया गया है।

सरकार ने उत्तर में बताया कि प्रमाप निविदा प्रलेख्र के साथ–साथ अधिनियम के अनुसार क्रय नियमावली/ भण्डार नियमावली/ जीसीसी का पुनरीक्षण प्रक्रियाधीन था एवं जल्द ही इसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। साथ ही, अधिनियम के प्रावधानों को इन संबंधित मैन्युअल्स/ प्रलेख्रों के पुनरीक्षण के बाद एक साथ ही लागू कर दिया जायेगा। सरकार ने समापन सभा (जुलाई 2018) के दौरान कम्पनी को यह निर्देश भी दिया कि इसके क्रियान्वयन में आई समस्याओं के बहाने अधिनियम/ नियमों के किसी भी प्रावधान की पालना नहीं करने को न्यायोचित नहीं समझा जायेगा।

विक्रेता विकास एवं मूल्यांकन नीति

2.10 विक्रेता विकास व्यूहरचनात्मक स्रोतों की एक तकनीक है तथा उत्पाद के तकनीकी मापदण्डों, मूल्य एवं सुपुर्दगी सूची के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं से एक क्रेता द्वारा प्राप्त उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करती है। जैसाकि कम्पनी सामग्री के क्रय पर स्रोतों की एक महत्वपूर्ण राशि ख्रर्च करती है तब बुद्धिमतापूर्ण व्यवसाय व्यवहार के रूप में एक उचित विक्रेता विकास नीति को बनाये जाने की अपेक्षा की जाती है। यह नीति कम्पनी को अपने विक्रेता डाटाबेस को बढ़ाने में सहायता करती है एवं इसे प्रापण प्रक्रिया में नये विक्रेताओं को सम्मिलित करने के लिए सक्षम बनाती है। साथ ही, कम्पनी द्वारा विश्वसनीय विक्रेताओं एवं अनुबंध की बाध्यताओं पर दोषियों को नियंत्रण /कालीसूची में रख्रने के उद्देश्य से विक्रेताओं के निष्पादन का मूल्यांकन करने की अपेक्षा भी की जाती है।

हमने देख्रा कि कम्पनी ने एक औपचारिक विक्रेता विकास नीति नहीं बनाई जो इसे प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने एवं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्माणी क्षमता को विकसित करने में सहायता करती। हमने देख्रा कि विद्युत के प्रसारण में लगी हुई *राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड(आरआरवीपीएनएल)* ने नये आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक विक्रेता विकास नीति अपना रख्री है जिसमें नये विक्रेताओं से विशिष्ठ रूपरेख्रा एवं तकनीकी मापदण्ड की सामग्री स्वीकार की जाती है। आरआरवीपीएनएल की विक्रेता नीति में नये विक्रेता के चयन हेतु जो पूर्व योग्यता की आवश्यकताओं को पूरा न करते हो, आपूर्ति की शर्तें, स्थापना तथा भुगतान के साथ परीक्षण आदेश दिये जाने से पहले उपकरण के निष्पादन की निगरानी की प्रक्रिया निर्धारित कर रख्री है। तथापि, कम्पनी की क्रय नियमावली में योग्य नये निविदादाताओं के पक्ष में कुल निविदा मात्रा की 10 प्रतिशत के आवंटन के लिए प्रावधान किया गया, तथ्य यही रहा कि कम्पनी ने एक औपचारिक विक्रेता विकास नीति नहीं अपनाई। कम्पनी के पास आपूर्तिकर्ताओं के निष्पादन मूल्यांकन करने के लिए एक विक्रेता मूल्यांकन प्रणाली भी नहीं थी।

सरकार ने उत्तर में बताया कि सामग्री के प्रापण के दौरान विभिन्न विक्रेता विकास तकनीकें यथा राजस्थान आधारित रुग्ण इकाइयों को निविदा सुरक्षा में 50 प्रतिशत की छूट देना, एसएसआई इकाइयों से लागू निविदा सुरक्षा जमा का केवल 25 प्रतिशत प्रभारित करना, राजस्थान आधारित इकाइयों के लिए कुल निविदात्मक मात्रा का 10 प्रतिशत आरक्षित करना इत्यादि का अनुसरण किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त विक्रेताओं के मूल्यांकन के लिए

आपूर्ति आदेशों को जारी करने से पूर्व नये विक्रेताओं की क्षमता एवं योग्यताओं तथा वर्तमान विक्रेताओं का भूतकालीन निष्पादन का निर्धारण भी किया जा रहा था। कम्पनी का उत्तर, तथापि, इंगित नहीं करता है कि एक औपचारिक विक्रेता विकास नीति एवं विक्रेता मूल्यांकन प्रणाली विद्यमान है तथा आरटीपीपी अधिनियम 2012 की अनुपालना में केवल राजस्थान आधारित आपूर्तिकर्ताओं पर लागू निविदा सुरक्षा जमा में ढील अनुमत की जा रही थी।

सामग्री का प्रापण

2.11 कम्पनी द्वारा 2013-18 की अवधि के दौरान विभिन्न सामग्री/ उपकरण यथा- पावर ट्रांसफॉर्मर्स, वितरण ट्रांसफॉर्मर्स, केबल,कंडक्टर, एनर्जी मीटर्स (सिंगल एवं थ्री फेज), पोल्स इत्यादि के प्रापण के लिए 417 निविदाएं (₹ 3134.14 करोड़) प्रदान की गई। चयनित निविदाओं एवं एसीओएस की समीक्षा के दौरान हमने सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण में कमियां एवं क्रय नियमावली में निर्धारित प्रापण क्रियाविधि की अनुपालना नहीं करने,विशिष्ट विवरणों की पुष्टि नहीं करने वाली सामग्री के क्रय वाले मामले,सामग्री का अमितव्ययी क्रय, सुपुर्दगी सूची को समयपूर्व करना एवं बिना उचित जांच एवं निरीक्षण के सामग्री का प्रापण करना पाया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा द्वारा चयनित 69 निविदाओं (₹ 1904.92 करोड़) में से 48 (69.57 प्रतिशत) में ₹ 65.53 करोड़ की धनराशि को सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार कमियों को उजागर किया गयाः

सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण

2.12 सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण कम्पनी के क्रय एवं भण्डार नियमावली के प्रावधानों द्वारा मार्गदर्शित होता है। भण्डार नियमावली के अनुसार कम्पनी द्वारा केन्द्रीकृत खरीद वाली मदों के संबंध में वार्षिक रूप से एक निश्चित अनुमान तैयार करना आवश्यक है। क्रय नियमावली में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में 'प्रापण नियोजन एवं प्रबंध (पीपीएम)' समिति[9] द्वारा मदानुसार वार्षिक आवश्यकता का निर्धारण किया जाना है। इसमें आगे प्रावधान है कि पीपीएम समिति द्वारा एक वित्तीय वर्ष के लिए सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण के लिए विभिन्न मानदण्डों यथा भौतिक लक्ष्य, बजट प्रावधान, स्टॉक की स्थिति, स्टोर्स में एवं कार्यस्थल पर उपलब्ध भौतिक शेष, बकाया क्रयादेशों के विरुद्ध प्रतीक्षित सामग्री की मात्रा, एवं सामान्य प्रापण एवं लीड समय पर आधारित अगले वर्ष के लिए आंशिक मात्रा को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

डिस्कॉम्स के अध्यक्ष द्वारा सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये थे (फरवरी 2014)। निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, उपखण्डीय स्तर पर सामग्री की कार्यानुसार एवं माहवार आवश्यकता के निर्धारण, वृत्त स्तर पर आवश्यकता का संकलन एवं समीक्षा एवं इसके बाद जोनल सीई (अजमेर जोन) द्वारा वृत्तानुसार आवश्यकता का संकलन तथा निर्धारण की गई आवश्यकता को पीपीएम समिति को सूचित किया जाना था।

9 समिति के सदस्य एसई (प्लान), एसई (मीटर एण्ड प्रोटेक्शन), डीसीओएस, एसई (एमएम), सीएओ (लेखा, कराधान एवं बजट), जोनल सीई (अजमेर जोन) सीई (एमएम)।

सम्पूर्ण सामग्री निर्धारण आवश्यकता पर आधारित एवं उपलब्ध बजट द्वारा चालित होना चाहिए था। डिस्कॉम्स के अध्यक्ष द्वारा बाद में निर्देश दिया गया (अगस्त 2016) कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कार्ययोजना को अगस्त के प्रथम सप्ताह तक सीई (मुख्यालय) के स्तर पर अन्तिम रूप दिया जाना है एवं सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण करने की कवायद पिछले वर्ष के सितम्बर तक पूरी की जानी है। इसके अतिरिक्त, आवश्यकता के निर्धारण शुरु करने से लेकर निविदा को अन्तिम रूप देने तक की प्रत्येक गतिविधि के लिए माइलस्टोन्स भी निर्धारित किये। चार चयनित एसीओएस पर अभिलेखों की समीक्षा एवं चयनित एसीओएस के अधीन 15[10] उपखण्डीय स्टोर्स पर नमूना जांच द्वारा उजागर हुआ कि सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण के लिए निर्धारित क्रियाविधि का अनुसरण नहीं किया गया था। वृत्त कार्यालयों एवं उपखण्डों द्वारा जोनल सीई को भेजी गई कार्यानुसार/ उपखण्डानुसार सामग्री की आवश्यकता के संबंध में कोई प्रलेख प्रस्तुत नहीं किये जा सके।

कार्यानुसार/ उपखण्डानुसार सामग्री की आवश्यकता निर्धारण शीट/ प्रलेखों के अभाव में, हम आश्वासन प्राप्त नहीं कर सके कि:

- उपखण्डानुसार संचालन एवं रखरखाव कार्यों के लिए जोनल सीई द्वारा निर्धारित की गई सामग्री की आवश्यकता की पर्याप्तता एवं
- क्या संचालन एवं रखरखाव कार्य/ वितरण नेटवर्क में आवर्धन की सामग्री की कमी के कारण बाधित हुई थी।

इस प्रकार, सीई (एमएम) द्वारा अन्तिम रूप दी गई निविदाएं फील्ड कार्यालयों की वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित नहीं थी।

सरकार ने अपने उत्तर में बताया कि सामग्री की वार्षिक आवश्यकता नये कनेक्शन जारी करने एवं सब-स्टेशन एवं लाइनों के निर्माण के लक्ष्य, स्टॉक का शेष, बकाया आपूर्तियों इत्यादि के आधार पर पहले वृत्त स्तर पर, फिर जोनल स्तर पर एवं बाद में कम्पनी के निगम कार्यालय स्तर पर अंतिम रूप दिया गया। इसके अतिरिक्त सामग्री का उपयोग तथा पिछले वर्ष के प्रगति पर कार्यों को भी ध्यान में रखा गया था। कम्पनी के प्रबंध ने समापन सभा के दौरान बताया कि सामग्री की आवश्यकता उपखण्डीय कार्यालयों से प्राप्त नहीं की गई क्योंकि इससे उद्देश्य की आपूर्ति नहीं होती। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डिस्कॉम्स के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये (फरवरी 2014 एवं अगस्त 2016) दिशा-निर्देशों / आदेशों की पालना नहीं की गई थी। साथ ही, उपखण्डीय कार्यालयों से प्राप्त आवश्यकता निर्धारण की गई आवश्यकता की विश्वसनीयता एवं यथार्थता को बढ़ावा देती।

सामग्री की आवश्यकता का अनुचित अनुमोदन

2.12.1 भण्डार नियमावली के अनुसार आपात स्थितियों से निपटने के लिए एवं सामग्री की सुपुर्दगी में देरी के विरुद्ध सुरक्षा के लिए बफर सामग्री रखी जाती है। साथ ही क्रय नियमावली में प्रावधान था कि आवश्यकता के अनुमोदन के समय सामान्य प्रापण पर आधारित आगामी वर्ष की प्रथम तिमाही के लिए आंशिक मात्रा एवं आपूर्ति के लिए लीड समय को जोड़ा जाना चाहिए। कम्पनी शेष बचे हुए कार्यों के लिए 15 प्रतिशत मात्रा एवं अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही के

10 (i) पुष्कर (ii) सराधना (iii) मधुवन (iv) झाडोल (v) मावली (vi) भिण्डर (vii) एईएन (आरएपीडीआरपी) (viii) भदेसर (ix) डूंगला (x) बड़ी सादड़ी (xi) रींगस (xii) श्रीमाधोपुर (xiii) लक्ष्मणगढ़ (xiv) पिपराली एवं (xv) पलसाना।

लिए 25 प्रतिशत मात्रा सामान्यतः जोड़ रही थी। कम्पनी द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के लिए सामग्री की अंतिम आवश्यकता को निर्धारित करते समय चालू वित्तीय वर्ष में जारी की गई निविदा लेकिन अंतिम रूप नहीं दी गई निविदा की मात्रा को भी सम्मिलित किया गया था।

सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण एवं अंतिमीकरण से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने देखा कि :

- आवश्यकता को अंतिम रूप देते समय एमएम विंग द्वारा केवल एसीओएस के पास सामग्री के शेष को ध्यान में रखा गया तथा उपखण्डों के पास सामग्री के शेष को नहीं लिया गया एवं इसे ध्यान में नहीं रखा गया।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा 2013-18 की अवधि के दौरान सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण करते समय निर्धारित दिशा-निर्देशों की अनुपालना नहीं की गई।

समापन सभा के दौरान प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं सामग्री की आवश्यकता निर्धारित करते समय उपखण्डों के स्टॉक को ध्यान में रखने का आश्वासन दिया। सरकार ने अपने उत्तर (नवम्बर 2018) में फिर स्वीकार किया कि उपखण्डों पर शेष स्टाक को ध्यान में नहीं रखा गया एवं कहा कि कम्पनी के उपखण्डीय स्टोर्स पर ज्यादा सामग्री नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने ऐसा कोई तंत्र विकसित नहीं किया और न ही उपखण्ड पर पड़े स्टॉक की मात्रा का कोई डाटाबेस भी नहीं बनाया जिसके अभाव में उपखण्ड पर उपलब्ध वास्तविक स्टॉक का निर्धारण नहीं किया जा सका।

सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण

2.12.2 हमने देखा कि वर्ष 2013-18 की अवधि के लिए सामग्री की वार्षिक मात्रात्मक आवश्यकता क्रय नियमावली के अनुसार पीपीएम समिति द्वारा निर्धारित की गई।

क्रय नियमावली के अनुसार पीपीएम समिति द्वारा बजट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता को अंतिम रूप दिया जाना था। साथ ही, डिस्कॉम्स के अध्यक्ष द्वारा भी निर्देश दिया गया (फरवरी 2014) कि सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण एवं उसका अंतिमीकरण बजट के अनुसार होना चाहिए। स्वीकृत परियोजनाओं/ कार्यों/संचालन एवं रखरखाव गतिविधियों के लिए प्रत्येक सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण करते समय वृत्त को इसके लिए आवंटित बजट प्रावधानों (सामग्री अवयव के लिए) को ध्यान में रखा जाना था। तथापि, हमने देखा कि 2013-18 (वर्ष 2015-16 के अतिरिक्त) के दौरान पीपीएम समिति द्वारा वार्षिक आवश्यकता के अनुमोदन के बाद कम्पनी के बजट को अंतिम रूप दिया गया था। हमने आगे देखा कि कम्पनी द्वारा सामग्री के प्रापण के लिए वित्तीय आवश यकता के निर्धारण के लिए कोई प्रणाली शुरु नहीं की गई एवं सामग्री के प्रापण के लिए विशिष्ट बजट का प्रावधान किये बिना ही बजट अनुमोदित किये गये। परिणामस्वरूप, पीपीएम समिति द्वारा केवल मात्रात्मक आवश्यकता निर्धारित की गई तथा 2013-17 की अवधि के लिए आवश्यक मात्रा के प्रापण के लिए वित्तीय आवश्यकता का निर्धारण एवं उसे अंतिम रूप नहीं दिया। इस प्रकार, आवश्यकता को निर्धारित करने एवं सामग्री के लिए वित्तीय प्रावधान किये बिना बजट तैयार करने की प्रणाली दोषपूर्ण थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया कि कम्पनी ने 2013-17 की अवधि में सामग्री के क्रय के लिये वित्तीय आवश्यकता का निर्धारण एवं अंतिमीकरण नहीं किया तथा कहा कि सामग्री के क्रय के लिये वर्ष 2017-18 से वित्तीय आवश्यकता एवं बजट आवंटन शुरू कर दिया है।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, आगे दी गई विसंगतियां जिसके परिणामतः अधिक प्रापण को देखा गया।

- कम्पनी के द्वारा अगस्त 2014 से जनवरी 2016 की अवधि के दौरान सात मदों की भिन्न-भिन्न मात्राओं के प्रापण के लिए क्रयादेश जारी किये। हमने देखा कि दो वर्षों तक (मार्च 2018) की अवधि के बीत जाने के उपरांत भी कम्पनी इन मदों के उपयोग को सुनिश्चित नहीं कर सकी जो इंगित करता है कि पीपीएम समिति द्वारा किया गया निर्धारण यथार्थवादी नहीं था जिसके परिणामतः ₹ 5.97 करोड़ (मार्च 2018) के कोष अवरूद्ध हुए जो **अनुबंध-4** में दिखाये गये है। साथ ही, कई मामलों में एमसीसीबी के संबंध में उनको स्थापित किये बिना ही उपलब्ध करायी गई गारण्टी अवधि का अधिकांश भाग समाप्त हो गया था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि सामग्री का प्रापण वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए अंतिम रूप दी गई आवश्यकताओं के विरुद्ध किया गया था लेकिन अधिकांश कार्य टर्नकी अनुबंधों के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने के कारण इस सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सका। इसने आगे कहा (नवम्बर 2018) कि टीएन-970 के अधीन एमसीसीबी की क्रय की गई अधिकांशतः मात्रा उपभोग कर ली गई थी तथा पिछले वर्ष के उपभोग को देखते हुये एमसीसीबी की मात्रा जो अप्रयुक्त पड़ी रही, काफी कम थी। तथ्य यही रहा कि उपयुक्त नियोजन एवं क्रियान्वयन की विधि के अभाव में अधिक प्रापण हुआ जिसके परिणामतः कोष अवरुद्ध हुए।

- कम्पनी के द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए प्रापण आदेश में 25150 किलोमीटर आरमर्ड केबल के अपने हिस्से को सभी डिस्कॉम्स के लिए समान निविदा के अधीन सम्मिलित करने के लिए जेवीवीएनएल को सूचित किया (जनवरी 2014) तथापि यह आवश्यकता पीपीएम समिति द्वारा निर्धारित/ अंतिम नहीं की गई थी। निविदा को अंतिम रूप देने के बाद, कम्पनी ने आरमर्ड केबल के प्रापण के लिए क्रयादेश जारी किया (अगस्त 2014) तथा इसकी आूपर्ति जून 2015 तक पूरी की जानी थी। तथापि, क्रयादेश जारी करने के बाद, कम्पनी ने महसूस किया (अगस्त 2014) कि आदेशित की गई मासिक मात्रा फील्ड की मासिक आवश्यकता की तुलना में अधिक थी एवं आपूर्ति अवधि को नौ माह से 18 माह तक (अर्थात मार्च 2016 तक) बढ़ा दिया (जून 2015)। पूरी आपूर्ति अवधि बढ़ाने के उपरांत भी कम्पनी ने समय समय पर आपूर्तियों को स्थगित कर दिया (सितम्बर 2015, अगस्त 2016 एवं मार्च 2017) एवं यहां तक कि स्थगन को बढ़ाई गई अवधि के पार तक की अवधि (अर्थात् 26 मई 2017 तक) के लिए बढ़ा दिया क्योंकि केबल की आवश्यकता कम्पनी के पास उपलब्ध केबल के स्टॉक से कम थी। इसके बाद, स्थगन को समाप्त कर दिया एवं कम्पनी ने जून 2017 तक 22062 किलोमीटर आरमर्ड केबल की आपूर्ति प्राप्त की। आपूर्तिकर्ता ने मार्च 2018 तक शेष मात्रा (3088 किलोमीटर) की आपूर्ति नहीं की। हमने देखा कि कम्पनी द्वारा अपने फील्ड कार्यालयों से आरमर्ड केबल की आवश्यकता का पता नहीं लगाया गया, इसकी आवश्यकता को सही रूप से निर्धारित नहीं किया एवं इस प्रकार सामग्री की अधिक मात्रा की आपूर्ति का आदेश दिया जो लगभग दो वर्षों तक आपूर्ति अनुसूची के स्थगन के रूप में परिणामित हुआ।

सरकार ने बताया कि राज्य सरकार के *'साठ दिवसीय कार्यक्रम'* के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण प्रारम्भिक रूप से *'मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना (एमएमएसएलवीवाई)'* एवं अन्य श्रेणियों के अधीन उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी करने के लिए किया गया था। इसने आगे बताया कि एमएमएसएलवीवाई के अधीन लक्षित कनेक्शनों की संख्या, तथापि, मार्च 2014 तक सारभूत रूप से बढ़ी जिसके परिणामतः 2014-15 के दौरान और अधिक केबल के प्रापण के लिए आवश्यकता एवं क्रयादेश जारी करने में उसी अनुपात में वृद्धि हुई क्योंकि संबद्ध कार्य सीएलआरसी[11] के माध्यम से निष्पादित किये जाने नियोजित थे। तथापि, केबल की एकीकृत मात्रा का प्रापण नहीं किया जा सका क्योंकि, टर्नकी अनुबंधों के माध्यम से डीडीयूजीजेवाई[12] के अधीन संबंधित कार्यों को क्रियान्वित किये जाने के कारण केबल की वांछित मात्रा का प्रापण नहीं किया जा सका एवं परिणामतः कई स्थगन लगाये गये। उत्तर सहमतिकारक नहीं है क्योंकि आवश्यकता को प्रारम्भिक रूप से फीडर रखरखाव कार्यक्रम के लिए निर्धारित की गई थी तथा प्रापण के लिए बताये गये कारण कि यह एमएमएसएलवीवाई को क्रियान्वित करने के लिए थे, ये इसके बाद के विचार हैं। तथ्य यही रहा कि आवश्यकता निर्धारित करने के लिए निर्धारित क्रियाविधि को नहीं अपनाया गया। इसके अतिरिक्त, केबल के प्रापण के लिए निर्धारण उचित नियोजन एवं संबंधित कार्यों को क्रियान्वित करने की विधि का पता लगाये बिना किया गया था।

निविदाओं का अंतिमीकरण

2.13 लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि चयनित 69 निविदाओं में से 40 निविदाओं को समय पर अन्तिम रूप नहीं दिया गया था जबकि पांच मामलों में निर्धारित मानदण्डों का उल्लंघन देखा गया जिनमें दोषी/ अयोग्य आपूर्तिकर्ताओं पर आपूर्ति आदेशों को जारी करना (दो निविदा मामले), वास्तविक योग्य मात्रा के विरुद्ध अधिक मात्राओं का आवंटन (दो निविदा मामले) एवं डीबारमेंट लगाने के स्थान पर एक दोषी आपूर्तिकर्ता से आपूर्तियों को स्वीकार करने जैसे उल्लंघन सम्मिलित थे। इसका विवरण नीचे दिया गया है:

निविदाओं को अन्तिम रूप दिये जाने में देरी

2.13.1 क्रय नियमावली के वाक्यांश 22.8 में क्रय के मामलों को अन्तिम रूप दिये जाने के लिए निविदाओं को खोलने की तिथि से आशय-पत्र/ क्रयादेश जारी करने तक अधिकतम 120 दिनों की समयावधि का प्रावधान करता है। फर्म की योग्यता निर्धारण करने के लिए कार्यस्थल निरीक्षण एवं मीटर एवं प्रोटेक्शन विंग द्वारा नमूना जांच की आवश्यकता वाले मामलों में 20 दिनों की अतिरिक्त समयावधि अनुमत की जा सकती थी। यदि किसी निविदा को निर्धारित समयावधि में संबंधित प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया जाता है तो इसको अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कराया जायेगा। संबंधित प्राधिकारी द्वारा अगले उच्चतर प्राधिकारी को निविदा की सिफारिश करते समय निर्दिष्ट समयावधि में निविदा को अंतिम रूप नहीं दिये जाने के लिए कारणों को दर्शाना होता है।

11 सेन्ट्रल लेबर रेट कॉन्ट्रक्ट।

12 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना।

चयनित 69 निविदा मामलों की समीक्षा में उजागर हुआ कि कम्पनी द्वारा 40 निविदाओं को 120 दिनों की निर्दिष्ट समयावधि से अधिक समय में अंतिम रूप दिया गया जिसका विवरण नीचे दिया गयाः

देरी का विस्तार	**निविदाओं की संख्या जिन्हें देरी से अंतिम रूप दिया गया**
एक माह तक	11
एक माह से दो माह तक	6
दो माह से तीन माह तक	8
तीन माह से छः माह तक	9
छः माह से 20 माह तक	6
कुल	**40**

तीन माह से अधिक की देरी वाले 15 निविदाओं के विश्लेषण करने से उजागर हुआ कि आठ निविदाओं को कम्पनी द्वारा स्वयं अंतिम रूप दिया गया था जबकि शेष सात निविदाओं में, निर्धारित की गई आवश्यकता कॉमन क्रय के अधीन प्रापण के लिए अन्य डिस्कॉम (जेवीवीएनएल अथवा जेडीवीवीएनएल) को सूचित किया गया था। इन 15 निविदाओं से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा के दौरान हमने देखा कि :

- कम्पनी द्वारा स्वयं अंतिम रूप दी गई आठ निविदाओं में, देरी के कारण मुख्यतः तकनीकी निविदा के मूल्यांकन में देरी, मूल्य निविदाओं के खोलने एवं उनके मूल्यांकन में देरी, मोलभाव एवं बारम्बार प्रति प्रस्तावों को जारी करने में लिये गये समय, निविदा प्रलेखों में कमियों को दूर करने एवं लम्बित प्रलेखों के प्रस्तुतीकरण के लिए अनुमत किये गये समय इत्यादि रहे।
- राज्य के अन्य डिस्कॉम द्वारा अंतिम रूप दिये गये शेष सात मामलों में, निविदा प्रक्रिया को पूर्ण करने में तीन माह से 20 माह की देरी की गई। हमने देखा कि असामान्य देरी के उपरान्त भी कम्पनी ने निविदाओं को समय पर अंतिम रूप देने के लिए इन डिस्कॉम्स के साथ मामले को नहीं उठाया।
- अगले उच्चत्तर प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना 120 दिनों की निर्दिष्ट अनुसूची के अतिरिक्त इन निविदाओं को अंतिम रूप देकर संबंधित प्राधिकारी द्वारा क्रय नियमावली का उल्लंघन किया गया।

सरकार ने स्वीकार किया कि निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रलेखों में कमियों एवं बारम्बार प्रति प्रस्ताव देने की लंबी प्रक्रिया के कारण 2016-17 तक निविदाओं को अंतिम रूप देने में असामान्य रूप से देरी की गई। इसने आगे बताया कि 2017-18 से निविदाओं को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम परम्पराओं को अपनाया जा चुका था एवं परिणामतः 2017-18 के दौरान अधिकांश निविदाएं समय से पूरी की गई थी। तथापि, निविदा क्रियाविधि को निर्धारित समयावधि में अंतिम रूप नहीं देने वाले मामलों में अगले उच्चत्तर प्राधिकारी से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं करने के बारे में उत्तर मौन था।

दोषी/अयोग्य आपूर्तिकर्ताओं को अनुबंध/ अधिक मात्रा प्रदान करना

2.13.2 जीसीसी के वाक्यांश 1.24 में प्रावधान है कि निर्दिष्ट सुपुर्दगी का समय एवं तिथि अनुबंध का सार है तथा आपूर्तियों को निर्दिष्ट अनुसूची में पूरा किया जाना आवश्यक है। साथ

ही, सुर्पुदगी में देरी एवं सामग्री की आपूर्ति नहीं करने को निम्नानुसार नियमित/ निपटाया जाना है:

- विक्रेता के द्वारा अनुबंधात्मक औपचारिकताएं पूरी की गई लेकिन आगामी निविदा की तकनीकी निविदा को खोलने की तिथि पर आपूर्तियों को शुरु नहीं किया गया एवं पुराने आदेश की अनुसूचित सुपुर्दगी अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी, उन मामलों में कम्पनी को आदेश जारी करने की तिथि से दो वर्ष अथवा अगली दो निविदाओं में जो भी बाद में हो, व्यवसाय संबंधों को समाप्त करने के साथ साथ सुपुर्दगी में देरी के कारण अधिकतम वसूली करने का अधिकार रखती है।
- सफल निविदादाता ने अनुबंध कर लिया हो एवं आपूर्तियों को शुरु कर दिया हो लेकिन आगामी निविदा की तकनीकी निविदा को खोलने की तिथि पर आदेशित मात्रा का 50 प्रतिशत तक आपूर्ति कर सका हो उन मामलों में अगली निविदा में ऐसे निविदादाता की निविदा उस विशेष मद के लिए नहीं खोली जानी है एवं/ अथवा संबंधित फर्म को एक वर्ष / उस विशेष मद के लिए अगली निविदा के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- सफल निविदादाता सम्पूर्ण आदेशित मात्रा को पूरा करने में असफल रहा हो तथापि उसने आगामी निविदा की तकनीकी निविदा को खोलने की तिथि पर आदेशित मात्रा के 50 प्रतिशत से अधिक आपूर्ति कर चुका हो उन मामलों में समान रेटिंग के लिए ऐसे निविदादाता की अगली निविदा पर प्रभावपूर्ण विचार किया जायेगा एवं तदनुसार इसे आगे प्रक्रियागत कर दिया जायेगा। मात्रा आवंटन के लिए योग्य पाये जाने वाले निविदादाता के मामले में उस मद के लिए पिछली निविदा में लम्बित मात्रा के बराबर मात्रा आगामी निविदा में घटा दी जानी है।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान निम्नलिखित दृष्टान्त देखे गये जहां कम्पनी ने ऊपर दर्शाये गये मानदण्डों के उल्लंघन में दोषी/अयोग्य आपूर्तिकर्ताओं को अनुबंध/ अधिक मात्रा प्रदान की गई:

दोषी आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति अनुबंध प्रदान करना

कम्पनी के द्वारा टीएन-2119 के अधीन ट्रांसफॉर्मर्स की आदेशित मात्रा के लिए आपूर्ति नहीं करने के कारण मैसर्स फतेहपुरिया ट्रांसफॉर्मर्स एण्ड स्वीचगीयर्स प्राइवेट लिमिटेड (आपूर्तिकर्ता) के साथ दो वर्षों की अवधि के लिए व्यापारिक संबंध समाप्त कर लिये (अगस्त 2015)। आगामी निविदा (टीएन-966) के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर विचार करते समय सीएलपीसी ने आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई मूल्य निविदा को नहीं खोलने का निश्चय किया एवं सीएलपीसी द्वारा योग्य पाये गये अन्य निविदादाताओं की मूल्य निविदाएं खोली (2 सितम्बर 2015)। बाद में, कम्पनी ने महसूस किया कि आपूर्तिकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किये बिना ही उसे प्रतिबंधादेश जारी कर दिया गया। इस प्रकार, कम्पनी ने प्रतिबंधादेश को वापस ले लिया एवं आपूर्तिकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया। निर्धारित क्रियाविधि को पूरा करने के बाद सीएलपीसी ने आपूर्तिकर्ता पर प्रतिबंध को जारी रखने का निश्चय किया (2 दिसम्बर 2015)। तथापि, इसी बीच कम्पनी आपूर्तिकर्ता की मूल्य निविदा भी खोल चुकी थी (6 अक्टूबर 2015)। कम्पनी द्वारा अन्य योग्यताधारी आपूर्तिकर्ताओं को क्रयादेश प्रदान किया गया (12 दिसम्बर 2015)। आपूर्तिकर्ता के निवेदन पर, संचालक मंडल (बीओडी) के द्वारा व्यवसाय संबंधों को यह ध्यान में रखते हुए बहाल करने का निश्चय किया (फरवरी 2016) कि व्यवसाय संबंधों को प्रतिबंधित करना एक कड़ा दण्ड होगा क्योंकि आपूर्तिकर्ता पहले ही पिछले आदेश की मात्रा की आपूर्ति करने के लिए अपनी इच्छा बता चुका था (जनवरी 2014)। बीओडी के निर्णय अनुसार, कम्पनी के द्वारा टीएन-966 के अधीन 100 पावर ट्रांसफॉर्मर्स (3.15 एमवीए) की आपूर्ति करने के लिए आपूर्तिकर्ता को एलओआई जारी किया गया (अप्रैल 2016)।

हमने देखा कि आपूर्तिकर्ता की मूल्य निविदाएं प्रतिबंधादेश को वापस लेकर अक्टूबर 2015 में अलग से खोली गई। तथापि, एक निविदा के लिए सभी योग्यताधारी निविदादाताओं की मूल्य निविदाएं साथ साथ खोली जानी

आवश्यक हैं एवं दो भिन्न-भिन्न तिथियों पर मूल्य निविदाएं खोलने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। साथ ही, बीओडी ने इस तथ्य के उपरान्त भी आपूर्तिकर्ता के साथ व्यवसाय संबंध बहाल कर दिए कि आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति शुरु नहीं की गयी थी एवं मूल अनुसूची (नवम्बर 2012) की मियाद खत्म होने से एक वर्ष से अधिक के बीत जाने के बाद आदेशित मात्रा की आपूर्ति के लिए अपनी सहमति दी थी (जनवरी 2014)। यह मामला दो साल से अधिक की देरी के बाद बीओडी के सामने रखा गया जिसने पुरानी निविदा (टीएन–2119) के अधीन सामग्री की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता की इच्छा को असंगत बना दिया। इस प्रकार, प्रतिबंधादेश को वापस लेने का निर्णय न्यायसंगत नहीं था। साथ ही, व्यवसाय संबंधों की अदेय बहाली के परिणामतः आपूर्तिकर्ता के पक्ष में ₹ 19.50 करोड़ का आपूर्ति आदेश जारी किया गया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि व्यवसाय संबंधों को प्रतिबंधादेश को वापस लेने के लिए सीएलपीसी के आदेश के मध्यनजर आपूर्तिकर्ता की मूल्य निविदा खोली गई क्योंकि ये आदेश उचित क्रियाविधि को सुनिश्चित किये बिना जारी किये गये थे। इसने आगे बताया कि बीओडी के द्वारा प्रतिबंधादेश को एक कड़े दण्ड के रूप में मानते हुए आपूर्तिकर्ता के साथ व्यवसाय संबंध बहाल किये गये क्योंकि आपूर्तिकर्ता आदेशित सामग्री की आपूर्ति के लिए तैयार था।

उत्तर सहमतिकारक नहीं है क्योंकि केवल उचित क्रियाविधि के माध्यम से व्यवसाय संबंधों को प्रतिबंधित करने को सुनिश्चित किये जाने के लिए प्रारम्भिक प्रतिबंधादेश वापस लिये गये थे। साथ ही, निविदा खोलते समय कम्पनी को अच्छी तरह ज्ञात था कि पिछली निविदा में खराब कार्य निष्पादन के कारण आपूर्तिकर्ता तकनीकी रूप से अयोग्य था एवं दो भिन्न-भिन्न तिथियों पर मूल्य निविदाओं को खोलने के किसी प्रावधान के बिना अलग से मूल्य निविदा खोली गई। इसके अतिरिक्त, आपूर्तिकर्ता के साथ व्यवसाय संबंधों को बहाल करने का निर्णय इस तथ्य के मद्देनजर सही नहीं था कि निर्धारित अनुसूची के समाप्त हो जाने के एक वर्ष बाद आपूर्तिकर्ता ने आदेशित मात्रा की आपूर्ति के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की।

दोषी आपूर्तिकर्ताओं को अधिक मात्रा प्रदान करना

दो आपूर्तिकर्ताओं (मैसर्स फतेहपुरिया ट्रांसफॉर्मर्स एण्ड स्वीचगीयर्स एवं मैसर्स न्युकोन स्वीचगीयर्स) के द्वारा टीएन-2196 के अधीन 3.15 एमवीए पावर ट्रांसफॉर्मर्स की सम्पूर्ण आदेशित मात्रा की आपूर्ति नहीं की जैसा कि आगामी निविदा (टीएन-966) के अधीन तकनीकी निविदाओं को खोलने के समय (3 जून 2015) क्रमशः 20 एवं 10 ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति लम्बित थी। इसी के समान, दो अन्य आपूर्तिकर्ता (मैसर्स राजस्थान मैटल्स एण्ड कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज एवं मैसर्स राजस्थान मैटल्स इण्डस्ट्रीज) के द्वारा टीएन-2217 के अधीन 16 केवीए वितरण ट्रांसफॉर्मर्स की सम्पूर्ण आदेशित मात्रा की आपूर्ति नहीं की जैसा कि आगामी निविदा (टीएन-1052) के अधीन तकनीकी निविदाओं को खोलने के समय (12 मई 2016) पर क्रमशः 300 एवं 200 ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति लम्बित थी। हमने देखा कि दोनों मामलों में, कम्पनी के द्वारा आगामी निविदाधीनादेश जारी करते समय मात्रा में कमी पर उस सीमा तक विचार नहीं किया गया जिस सीमा तक पिछली निविदाओं के पेटे आपूर्तियां लम्बित थी तथा जीसीसी के वाक्यांश 1.24 के प्रावधानों के उल्लंघन में आगामी निविदाओं में अधिक मात्रा के लिए दोषी आपूर्तिकर्ताओं को आदेश जारी किये गये। इस प्रकार, वास्तविक योग्य मात्रा से अधिक मात्रा में इन चारों आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 7.80 करोड़[13] के आपूर्ति आदेश जारी किये गये।

सरकार ने उत्तर में स्वीकार किया कि दो[14] आपूर्तिकर्ताओं के मामलों में, प्रस्तावित मात्राओं वाले पर्याप्त आपूर्तिकर्ताओं की अनुपलब्धता के कारण पिछली निविदा (टीएन-2196) के विरुद्ध बकाया मात्राओं की सीमा तक आवंटित मात्रा को घटाया नहीं गया था। इसने आगे बताया कि दो[15] अन्य आपूर्तिकर्ताओं के मामलों में, मात्राओं का आवंटन पिछली निविदाओं (टीएन-981) को ध्यान में रखते हुए किया गया था जहां निविदादाताओं ने आदेशित आपूर्तियों में कोई चूक नहीं की थी। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि एक अन्य पिछली निविदा (टीएन-2217) के अधीन बकाया मात्रा को भी आगामी निविदा में घटाने पर विचार किया जाना था जो नहीं किया गया।

13 ₹ 19.50 लाख प्रति ट्रांसफॉरमर की दर से 30 पावर ट्रांसफॉरमर्स (3.15 एमवीए) के लिए ₹ 5.85 करोड़ का आपूर्ति आदेश एवं ₹ 39000 प्रति ट्रांसफॉरमर की दर से 500 वितरण ट्रांसफॉरमर्स (16 केवीए) के लिए ₹ 1.95 करोड़ का आपूर्ति आदेश।

14 मैसर्स फतेहपुरिया ट्रांसफॉरमर्स एण्ड स्वीचगीयर्स एवं मैसर्स न्युकोन स्वीचगीयर्स।

15 मैसर्स राजस्थान मैटल्स एण्ड कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज एवं मैसर्स राजस्थान मैटल्स इण्डस्ट्रीज ।

अयोग्य आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति अनुबंध प्रदान करना

मैसर्स फतेहपुरिया ट्रांसफॉर्मर्स एण्ड स्वीचगीयर्स प्राइवेट लिमिटेड (आपूर्तिकर्ता) के द्वारा दो निविदाओं के अधीन 5 केवीए वितरण ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति में चूक की क्योंकि आपूर्तिकर्ता के द्वारा प्रथम निविदा (टीएन-1192) के अधीन 1000 ट्रांसफॉर्मर्स की आदेशित मात्रा के विरुद्ध केवल 117 ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति की गई तथा द्वितीय निविदा (टीएन-1203) के अधीन आपूर्ति शुरु नहीं की गई। चूक को ध्यान में रखते हुए, आगामी निविदा की तकनीकी बोली को खोलने की तिथि पर सुपुर्दगी अनुसूची समाप्त हो जाने के उपरांत भी आदेशित मात्रा की अंशतः/ सम्पूर्ण आपूर्ति नहीं करने के कारण आगामी निविदा (टीएन-1147) के अधीन 5 केवीए ट्रांसफॉर्मर्स के लिए मूल्य बोलियों को खोलने के लिए आपूर्तिकर्ता को नॉन-रिस्पॉन्सिव के रूप में नामित किया गया (11 सितम्बर 2017)। हमने देखा कि आपूर्तिकर्ता को तथापि आगामी निविदा (टीएन-1147) के अधीन 10 केवीए ट्रांसफॉर्मर्स के लिए तथा आगामी निविदा (टीएन-1149) के अधीन 16 एवं 25 केवीए ट्रांसफॉर्मर्स के लिए मूल्य बोलियों को खोलने के लिए रिस्पॉन्सिव निविदादाता के रूप में ध्यान में रखा गया। कम्पनी ने 10 एवं 25 केवीए ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति के लिए क्रमशः ₹ 0.89 करोड़ एवं ₹ 1.48 करोड़ के लिए आदेश जारी किये (अक्टूबर 2017)।

हमने देखा कि आपूर्तिकर्ता के द्वारा एक प्रकार के ट्रांसफॉर्मर की आपूर्ति में चूक को ध्यान में नहीं रखा गया तथा दो वर्ष की अवधि के लिए आपूर्तिकर्ता के साथ व्यवसाय संबंध प्रतिबंधित करने के स्थान पर कम्पनी के द्वारा वर्तमान मानदण्डों के उल्लंघन में ट्रांसफॉर्मर्स[16] की अन्य श्रेणियों के लिए आगामी आदेशों के अधीन ₹ 2.37 करोड़ मूल्य के आपूर्ति आदेश जारी करके अदेय लाभ पहुंचाया गया। हमने यह भी देखा कि अक्टूबर 2017 में जारी किये दोनों आपूर्ति आदेशों (10 एवं 25 केवीए ट्रांसफॉर्मर्स) की सुपुर्दगी अनुसूची अप्रैल 2018 में समाप्त हो चुकी थी। इसके उपरान्त भी आपूर्तिकर्ता के द्वारा मई 2018 तक इन आपूर्ति आदेशों के विरुद्ध आपूर्ति शुरु नहीं की गई थी।

सरकार ने उत्तर में बताया कि दोषी आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध तुरंत कार्यवाही करने के स्थान पर प्रतिबंधादेश प्रक्रिया में लगने वाले समय एवं आपूर्तिकर्ताओं की सीमित संख्या होने के मध्यनजर देरी के साथ आपूर्तियों को लेने की प्रतीक्षा करना ठीक समझा गया था। साथ ही यह बताया गया कि टीएन-1203 के अधीन केवल 384 ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति करने के कारण आपूर्तिकर्ता को एक वर्ष अथवा अगली निविदा जो भी बाद में हो, के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया (जुलाई 2018)। इस प्रकार तथ्य यही रहा कि वर्तमान मानदण्डों के उल्लंघन में आगामी निविदाओं (टीएन-1147 एवं 1149) के अधीन ₹ 2.37 करोड़ मूल्य के आपूर्ति आदेश जारी करके दोषी आपूर्तिकर्ता को अदेय लाभ पहुंचाया गया।

सामग्री के प्रापण में कुशलता एवं प्रभावशीलता

2.14 प्रचलित क्रियाविधियों के अनुसार तकनीकी समिति वर्तमान वितरण नेटवर्क के लिए उपयुक्त सामग्री के तकनीकी मानक / विशिष्ट विवरणों को अन्तिम रूप देती है। विभिन्न प्रकार की सामग्री के विशिष्ट विवरणों को निविदा प्रपत्रों एवं क्रयादेशों में सम्मिलित किया जाता है। आपूर्तिकर्ताओं एवं कम्पनी दोनों के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक था कि सामग्री निर्धारित विशिष्ट विवरणों की पुष्टि करने वाली थी। निर्धारित विशिष्ट विवरणों के अनुसार सामग्री की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी द्वारा सामग्री का निरीक्षण एवं जांच की जाती है।

विशिष्ट विवरणों की पुष्टि नहीं करने वाली सामग्री का प्रापण

2.14.1 अभिलेखों की समीक्षा के दौरान निम्न दृष्टान्तों को देखा गया जहां कम्पनी द्वारा आवश्यक सुविधा के अभाव वाली सामग्री का प्रापण किया गया एवं ट्रांसफॉर्मर्स के प्रापण के लिए जीओआई आदेश /दिशा-निर्देशों के अधीन निर्धारित विशिष्ट विवरणों का उल्लंघन किया गया जिनकी चर्चा नीचे की गई:

16 10 केवीए, 16 केवीए एवं 25 केवीए।

अप्रचलित तकनीक वाले विद्युत मीटर्स का प्रापण

जीओआई के वित्तीय पुनर्संरचना कार्यक्रम 2012 (एफआरपी) के अनुसार डिस्कॉम्स के द्वारा उन सभी सरकारी एवं वृहत उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड मीटरिंग[17] करना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक था जिन्होंने मार्च 2013 तक अपने सभी भुगतान नहीं किये थे। जेवीवीएनएल के द्वारा प्रीपेड विद्युत मीटर्स (थ्री फेज) के प्रापण के लिए समान निविदा (टीएन-2297) आमंत्रित की (फरवरी 2015) एवं सिक्योर मीटर्स (आपूर्तिकर्ता) को ₹ 9500 प्रति मीटर की दर पर ₹ 13.62 करोड़ के 14334[18] प्रीपेड विद्युत मीटर्स (थ्री फेज) के प्रापण के लिए आपूर्ति आदेश जारी किये (अगस्त 2015)। कम्पनी के द्वारा टीएन-2193 के अधीन 11639 सिंगल फेज मीटर्स के क्रय के लिए आपूर्ति आदेश भी जारी किये गये (अगस्त 2014)।

हमने देखा कि ये मीटर्स सरकारी कनेक्शनों (जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) सहित) के लिए आवश्यक थे। तथापि, ये मीटर्स कई[19] अड़चनों के कारण स्थापित नहीं किये जा सके। मीटर्स में रिचार्जिंग के लिए ऑनलाइन कम्युनिकेशन फीचर का अभाव भी था। इसके परिणामतः विद्युत आपूर्ति संबंध स्वतः ही विच्छेद हुआ जिससे जनता के बीच असंतोष पैदा हुआ। इस प्रकार, राज्य सरकार ने पीएचईडी कनेक्शनों पर इन प्रीपेड विद्युत मीटर्स संस्थापित नहीं करने का निश्चय किया (फरवरी 2016)।

मई 2016 में 5576 मीटर्स[20] एवं जून 2016 में 2000 मीटर्स की पुनर्निर्धारित आवश्यकता के विरुद्ध आपूर्तिकर्ता द्वारा शेष आपूर्तियों पर प्रतिबंधादेश के अधीन रखते हुए अप्रैल 2016 तक 8752 मीटर्स की सुपुर्दगी की जा चुकी थी। बाद में, सीएलपीसी ने इन मीटर्स को घरेलू, अघरेलू एवं अस्थायी कनेक्शनों के लिए भी संस्थापित करने का निश्चय किया (जुलाई 2016) एवं शेष 3582 मीटर्स[21] की आपूर्ति पर लगे प्रतिबंध को भी उठा लिया तथा शेष मीटर्स की आपूर्ति को अनुमत किया। इस प्रकार, कम्पनी के द्वारा नवम्बर 2016 तक सम्पूर्ण आदेशित मात्रा की आपूर्ति को स्वीकार किया गया। इसी बीच, प्रीपेड मीटर्स को संस्थापित करने के औचित्य एवं विधि को जांचने के लिए जेवीवीएनएल द्वारा एक समिति का गठन भी किया गया (जुलाई 2016)। समिति ने देखा (अगस्त 2016) कि प्रीपेड मीटर्स अप्रचलित तकनीक वाले थे।

हमने देखा कि प्रारम्भिक प्रस्ताव के अनुसार प्रीपेड विद्युत मीटर्स केवल सरकारी एवं वृहत उपभोक्ताओं के कनेक्शनों के लिए स्थापित किये जाने थे। कार्यक्षेत्र से पीएचईडी को अलग रखने के राज्य सरकार के निर्णय (फरवरी 2016) के मद्देनजर कम्पनी को आगे आपूर्तियों को स्वीकार नहीं करना चाहिए था क्योंकि यह 5576 मीटर्स की पुनरीक्षित आवश्यकता के विरुद्ध पहले ही 8752 मीटर्स की आपूर्ति स्वीकार कर चुकी थी। तथापि, कम्पनी के द्वारा इन तथ्यों को अनदेखा किया गया एवं सम्पूर्ण आदेशित मात्रा की आपूर्ति को स्वीकार किया गया। हमने यह भी देखा कि कम्पनी 10276 मीटर्स ही संस्थापित कर सकी जबकि जनवरी 2019 तक ₹ 3.86 करोड़ मूल्य के शेष 4058 मीटर्स स्टोर्स में पड़े हुए थे। इस प्रकार, कम्पनी इन मीटर्स के उपयोग को सुनिश्चित नहीं कर सकी जो अप्रचलित तकनीक पर आधारित थे।

इसी के समान, कम्पनी के द्वारा दिसम्बर 2015 तक एक अन्य निविदा (टीएन-2193) के अधीन आपूर्तिकर्ता से ₹ 4832 प्रति मीटर की दर पर 11639 सिंगल फेज मीटर्स क्रय किये गये। कम्पनी 7264 सिंगल फेज मीटर्स ही संस्थापित कर सकी जबकि जनवरी 2019 तक ₹ 2.11 करोड़ मूल्य के शेष 4375 मीटर्स स्टोर्स में पड़े हुए थे। हमने यह भी देखा कि कम्पनी के द्वारा एफआरपी 2012 के प्रावधानों के उल्लंघन में अपने परिसरों पर इन मीटर्स[22] में से 829 को संस्थापित करते हुए ₹ 42.76 लाख का निष्फल व्यय किया गया।

---

17 इसका तात्पर्य उपभोक्ता के परिसर पर प्रीपेड मीटर लगाने की एक प्रणाली से है जो उपभोक्ता के परिसर को उस सीमा तक विद्युत की आपूर्ति अनुमत करेगी जिस सीमा तक उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत के पेटे पहले से ही भुगतान कर दिया गया हो।

18 यह जेवीवीएनएल द्वारा कम्पनी के लिए आवंटित मात्रा को इंगित करती है।

19 पीएचईडी कनेक्शन वेल्डेड बॉक्स वाले सुपर ट्रांसफॉरमर्स में संस्थापित किये गये थे, उपभोक्ता इंटरफेस यूनिटस के संस्थापन के संबंध में आवश्यक निर्देशों का अभाव एवं पीएचईडी मीटर बॉक्स में स्थान का अभाव।

20 यह सरकारी कनेक्शनों (पेयजल एवं सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटिंग के अतिरिक्त) के लिए प्रीपेड विद्युत मीटर्स की आवश्यकता को दर्शाता है।

21 कुल आदेशित मात्रा (14334 मीटर्स) – पूर्व में आपूर्तित मात्रा 10752 मीटर्स (8752 मीटर्स + 2000 मीटर्स)।

22 इसमें 771 सिंगल फेज एवं 58 थ्री फेज मीटर्स सम्मिलित हैं।

सरकार ने जवाब में तथ्यों को स्वीकार किया कि ये प्रीपेड मीटर्स विशिष्ट विवरणानुसार एफआरपी 2012 के अधीन प्रापण किये गये तथापि, केवल 50 प्रतिशत प्रीपेड मीटर्स ही उपयोग में लाये जा सके क्योंकि सरकारी कार्यालयों/ भवनों पर इन प्रीपेड मीटर्स को संस्थापित नहीं करने का निश्चय किया गया था (फरवरी 2016)। इसने आगे बताया कि उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणियों पर उनके द्वारा प्रतिरोध किये जाने के कारण इन प्रीपेड मीटर्स को संस्थापित करने के निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। सरकार ने आगे बताया कि मई 2018 से ऐसे मीटर्स के ऑनलाइन रिचार्ज करने के लिए आसान क्रियाविधि शुरु की जा चुकी है। उत्तर तथापि विभिन्न सरकारी कार्यालयों/ भवनों पर इन प्रीपेड मीटर्स को संस्थापित नहीं करने का निर्णय लेने के उपरान्त भी आपूर्तियों को स्वीकार करने के विषय पर मौन था। उत्तर कम्पनी द्वारा अपने परिसरों पर ऐसे मीटर्स को उपयोग में लेने के विषय पर भी मौन था।
जीओआई आदेश /दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में ट्रांसफॉर्मर्स के प्रापण जीओआई द्वारा जारी किये गये (मई 2015) इलेक्ट्रीकल ट्रांसफॉर्मर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2015 में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से एक वैध लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही ट्रांसफॉर्मर्स का निर्माण करने का प्रावधान था। इसमें ऊर्जा दक्षता के भिन्न-भिन्न स्तरों (यथा स्तर 1 से 5) में ट्रांसफॉर्मर्स के श्रेणीकरण के लिए भी प्रावधान था जिन्हें ट्रांसफॉर्मर के 50 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत लोडिंग स्तरों पर अधिकतम अनुमत्य कुल हानियों की निर्धारित सीमाओं की अनुपालना के आधार पर निर्धारित किया जाना था। यह आदेश सभी मामलों के लिए लागू था जहां आपूर्ति आदेश 1 फरवरी 2016 अथवा उसके बाद जारी किये गये थे। हमने देखा कि कम्पनी के द्वारा मैसर्स विजय इलेक्ट्रीकल्स (आपूर्तिकर्ता) को 25 केवीए के 250 ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति के लिए एक आदेश जारी किया (अप्रैल 2016)। आपूर्ति आदेश में ऊर्जा दक्षता के स्तर-1 के अंतर्गत 25 केवीए ट्रांसफॉर्मर की 50 प्रतिशत लोडिंग पर 100 वॉट की अधिकतम कुल हानियां निर्दिष्ट थी। हमने देखा कि इलेक्ट्रीकल ट्रांसफॉर्मर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2015 के अनुसार, 25 केवीए ट्रांसफॉर्मर के लिए ऊर्जा दक्षता के स्तर-1 एवं स्तर-2 के लिए 50 प्रतिशत लोडिंग पर अधिकतम अनुमत्य कुल हानियां क्रमशः 111 से 125 वॉट एवं 96 से 110 वॉट के रूप में निर्दिष्ट थी तथा आदेशित ट्रांसफॉर्मर्स स्तर-2 श्रेणी के अंतर्गत सन्निहित थे। हमने आगे देखा कि आपूर्तिकर्ता के पास केवल स्तर-1 के ट्रांसफॉर्मर्स के निर्माण के लिए बीआईएस प्रपत्र/लाइसेंस था। इस प्रकार, कम्पनी द्वारा जीओआई आदेश /दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में अयोग्य आपूर्तिकर्ता को ₹ 1.54 करोड़ मूल्य के कार्यादेश जारी किये गये। सरकार ने बताया कि ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति को आपूर्ति आदेश के अंतर्गत निर्धारित विशिष्ट विवरणों के अनुसार एवं आपूर्तिकर्ता से बीआईएस प्रपत्र/लाइसेंस प्राप्त करने के बाद स्वीकार किया गया था। इसने आगे बताया कि सामग्री ऊर्जा दक्षता के स्तर-1 की शर्त पूरी करती थी क्योंकि 50 प्रतिशत लोडिंग पर हानियां दोनों स्तरों यथा ऊर्जा दक्षता के स्तर-1 एवं स्तर-2 में समाहित थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 50 प्रतिशत लोडिंग (100 वॉट) के लिए निर्धारित हानियां ऊर्जा दक्षता के स्तर-2 में समाहित थी तथा आपूर्तिकर्ता को उसी के अनुसार स्तर-2 के लिए भी बीआईएस प्रपत्र प्राप्त करना आवश्यक था। यह दर्शाना उपयुक्त होगा कि समापन सभा के दौरान, विभाग (ऊर्जा) ने आक्षेप को स्वीकार किया एवं दोनों स्तरों पर लोड हानियों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।

सामग्री का अमितव्ययीपूर्ण क्रय

2.15 प्रापण प्रक्रिया के साथ सम्बद्ध अथवा सामग्री के क्रय को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार प्राधिकारियों के द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने की अपेक्षा की जाती है कि सामग्री विशिष्ट विवरणों के साथ क्रय की गई है, मूल्य उचित हैं, क्रय आवश्यक मात्रा से मेल खाती है एवं निविदादाताओं की मिलीभगत न्यूनतम है। साथ ही, उपलब्ध कोषों के उचित उपयोग करने के लिए अग्रिम/आवश्यकता से अधिक प्रापण को टाला जाता है।

अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, निम्न दृष्टांतों को देखा गया जहां उचित आवश्यकता एवं स्टॉक की उपलब्धता निर्धारण किये बिना कम्पनी के द्वारा निर्धारित सुपुर्दगी अनुसूची से पूर्व सामग्री को स्वीकार किया गया एवं उच्चतर दरों पर सामग्री की आपूर्ति के लिए आदेश जारी किये गये:

सुपुर्दगी सूची से पूर्व आपूर्तियों को स्वीकार करना

कम्पनी ने टीएन-2318 के अधीन (जेवीवीएनएल द्वारा अंतिम रूप दी गई समान निविदा) 906 वीसीबी कियोस्क की आपूर्ति के लिए स्टेलमेक लिमिटेड (आपूर्तिकर्ता) के अहमदाबाद वर्क्स पर आदेश जारी किया (21 अप्रैल 2016)। आदेश के अनुसार, कियोस्क की आपूर्ति को 21 जून 2016 तक शुरु की जानी थी एवं 91 वीसीबी कियोस्क प्रति माह की दर से शुरु करते हुए आपूर्ति 10 माह की अवधि (अर्थात 20 अप्रैल 2017 तक) में पूरी की जानी थी। आदेश में आगे बताया गया था कि प्रत्येक प्रेषण के पेटे कियोस्क की आपूर्ति पर 90 प्रतिशत का भुगतान किया जाना था जबकि शेष 10 प्रतिशत भुगतान को इन कियोस्कस को संस्थापित किये जाने पर जारी किया जाना था।

यह देखा गया कि कम्पनी ने बिना कोई कारण दर्ज किये अगस्त 2016 तक 182 कियोस्कस की अनुसूचित आपूर्ति के विरुद्ध आपूर्तिकर्ता से 500 कियोस्कस की आपूर्ति को स्वीकार किया। आपूर्तिकर्ता के द्वारा फिर से (अगस्त 2016) 300 कियोस्कस की आपूर्ति स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया जिसे शुरु में इस मामले में प्रतिबंध लगे होने (अगस्त 2016) के कारण स्वीकार नहीं किया गया। बाद में, सीएलपीसी ने आपूर्तिकर्ता के द्वारा प्रस्तावित 300 कियोस्कस की आपूर्ति को स्वीकार करने का यह कहते हुए निश्चय किया (सितम्बर 2016) कि 354 कियोस्कस की आवश्यकता के विरुद्ध कम्पनी के पास स्टॉक में केवल 133 कियोस्कस थे। सीएलपीसी के अनुमोदन के बाद, आपूर्तिकर्ता के द्वारा 27 सितम्बर 2016 को अन्य 300 कियोस्कस की आपूर्ति की गई। इस प्रकार कम्पनी के द्वारा निर्धारित सुपुर्दगी अनुसूची से पूर्व ₹ 11.32 करोड़[23] (अर्थात 906 कियोस्कस की आदेशित मात्रा का 88.30 प्रतिशत) मूल्य वाले 436 कियोस्कस[24] की आपूर्ति को स्वीकार किया गया एवं सितम्बर 2016 तक अनुसूची से पूर्व की गई आपूर्तियों के पेटे ₹ 10.19 करोड़ (अर्थात ₹ 11.32 करोड़ का 90 प्रतिशत) जारी किये गये।

हमने देखा कि आवश्यकता के अनुचित निर्धारण के आधार पर कम्पनी के द्वारा बाद में प्रस्तावित की गई कियोस्कस (300 कियोस्क) की आपूर्ति को स्वीकार किया गया क्योंकि उपखण्डीय स्टोर्स पर पड़े हुए 378 कियोस्क के स्टॉक को उपलब्ध स्टॉक की गणना में ध्यान में नहीं रखा गया था (अगस्त 2016)। इस प्रकार, निर्धारित आवश्यकता (354 कियोस्क) के विरुद्ध पर्याप्त स्टॉक की मात्रा (511 कियोस्कस) उपलब्धता होने के उपरान्त भी कम्पनी के द्वारा इसकी अनुसूची के पूर्व आपूर्ति को स्वीकार किया गया जिसके परिणामतः आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 10.19 करोड़ का भुगतान जल्दी हुआ। साथ ही, इन कियोस्कस की वारण्टी अवधि इनके संस्थापन में देरी की सीमा तक समाप्त हो गयी थी।

सरकार ने उत्तर में बताया कि सब-स्टेशन उन्नयन कार्यक्रम के अधीन पुराने एवं अप्रचलित वीसीबी कियोस्कस के बदलने एवं नये सब-स्टेशन पर कियोस्कस को संस्थापित करने के लिए वीसीबी कियोस्कस की आपूर्ति को सुपुर्दगी अनुसूची से पूर्व स्वीकार किया गया। इसने आगे बताया कि उपखण्डों का स्टॉक को ध्यान में नहीं रखा गया था क्योंकि ये संस्थापनाधीन थे। तथ्य तथापि यही रहा कि इन कियोस्कस के उसी समय संस्थापन की क्षमता का निर्धारण किये बिना ही वीसीबी कियोस्कस की आपूर्ति को निर्धारित अनुसूची से पूर्व स्वीकार किया गया जिसके परिणामतः 436 आपूर्तित कियोस्क 31 से 541 दिनों तक बिना संस्थापित किये पड़े रहे।

उच्चतर दरों पर सामग्री का क्रय

कम्पनी के द्वारा टीएन-2298 के अधीन (जेवीवीएनएल द्वारा अंतिम रूप दी गई समान निविदा) ₹ 740 प्रति मीटर की दर पर तीन लाख सिंगल फेज स्टेटिक मीटर्स की आपूर्ति के लिए दो आपूर्तिकर्ताओं[25] पर क्रयादेश

23 ₹ 259694.58 प्रति इकाई की दर पर 436 वीसीबी कियोस्कस।

24 कुल स्वीकार की गई आपूर्ति (800 कियोस्कस) – 21 अक्टूबर 2016 को समाप्त प्रारम्भिक चार माह के लिए अनुसूचित आपूर्ति (364 कियोस्कस)।

25 एचपीएल इलेक्ट्रिक तथा लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड प्रत्येक को 1.50 लाख मीटर्स।

जारी किये (जून 2015)। आपूर्ति निर्दिष्ट अनुसूची के अनुरूप की गई। इसी बीच, जेवीवीएनएल के द्वारा 17.70 लाख[26] सिंगल फेज स्टेटिक मीटर्स के प्रापण के लिए आगामी समान निविदा (टीएन-2317) आमंत्रित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई (मई 2015)। आगामी निविदा के अंतिमीकरण में देरी एवं मीटर्स की आकस्मिक आवश्यकता के कारण कम्पनी के द्वारा टीएन-2298 के अधीन अंतिम रूप दी गई दर पर 1.50 लाख मीटर्स (यथा प्रारम्भिक आदेशित मात्रा का 50 प्रतिशत) की आपूर्ति के लिए दोनों आपूर्तिकर्ताओं को क्रयादेश जारी किये गये (दिसम्बर 2015)। दोनों आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मार्च 2016 तक अतिरिक्त आदेशित मात्रा की आपूर्ति कर दी गई। इसी बीच, आगामी निविदा (टीएन-2317) की मूल्य बोली खोली गई (28 मार्च 2016) एवं इस निविदाधीन ₹ 687 प्रति मीटर की दर पर मीटर्स की आपूर्ति के लिए क्रयादेश जारी किये (अप्रैल 2016)।

हमने देखा कि जब कम्पनी के द्वारा पुनरादेश जारी करने का निश्चय किया गया उस समय आगामी निविदा की निविदा प्रक्रिया पहले से ही प्रक्रियाधीन थी क्योंकि तकनीकी एवं मूल्य बोलियां अगस्त 2015 में प्रस्तुत कर दी गई थी लेकिन मूल्य निविदा दिसम्बर 2015 तक नहीं खोली गई थी। इस प्रकार, कम्पनी पुनरादेश में एक शर्त डालकर कि वर्तमान निविदा (टीएन-2298) एवं आगामी निविदा (टीएन-2317) के मूल्य में जो भी कम हो का भुगतान किया जायेगा, अपने वित्तीय हित की रक्षा कर सकती थी। हमने देखा कि कम्पनी के द्वारा अपने वित्तीय हित की रक्षा नहीं की गई एवं पुनरादेशाधीन आपूर्तियों के लिए उच्चतर दर का भुगतान करके ₹ 79.50 लाख का परिहार्य व्यय किया गया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया कि सिंगल फेज मीटर्स की अत्यन्त कमी के कारण पुनरादेश जारी किये गये। इसने आगे बताया कि मीटर्स को बदलने में देरी के कारण उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली छूट के भार से बचने के लिए दोषपूर्ण मीटर्स को बदलने के लिए सिंगल फेज मीटर्स के प्रापण करना आकस्मिक आवश्यकता थी। तथापि, लेखापरीक्षा आक्षेप, जिसमें इस पर प्रकाश डाला गया था कि पुनरादेशों में आगामी निविदाधीन निम्नत्तर मूल्य प्राप्त होने पर आगामी निविदा की सीमाओं में मूल्यों को सीमित करने के लिए कोई शर्त नहीं डाली गई थी, को उत्तर में संबोधित नहीं किया गया था।

दोषी आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का अभाव

2.16 जीसीसी के वाक्यांश 1.24 में प्रावधान था कि सुपुर्दगी में देरी, पूर्व में स्वीकार किये गये मूल्यों एवं नियम व शर्तों पर जारी किये गये आदेशों को स्वीकार नहीं करने तथा एग्रीमेंट का निष्पादन नहीं करने को निम्नानुसार नियमित/निपटारा किया जाना है:

- सुपुर्दगी में देरी के मामले में, देरी किये गये/ अनिष्पादित आपूर्ति के अधिकतम पांच प्रतिशत के अधीन रखते हुए चार सप्ताह तक एवं चार सप्ताह से अधिक की देरी के लिए प्रति सप्ताह अथवा उसके किसी भाग पर क्रमशः 0.25 एवं 0.50 प्रतिशत की दर पर शास्ति प्रभारित की जानी है।
- उन मामलों में जहां आपूर्तिकर्ता स्वीकार किये गये मूल्यों एवं नियम व शर्तों पर जारी किये गये आदेशों को स्वीकार नहीं करता है तथा अनुबंधात्मक औपचारिकताएं पूरी नहीं करता है, आदेश जारी करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए व्यवसाय संबंध तोड़ने के साथ-साथ ईएमडी को जब्त करने/ इसके विक्रेता पंजीकरण को रद्द करने के रूप में दोषी आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जानी है।

वाक्यांश 1.59 में प्रावधान है कि यदि आपूर्तिकर्ता अनुबंधाधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन/ पूरा करने में विफल/उपेक्षा करने के मामले में कम्पनी अपने स्वविवेक से सुरक्षा जमा को जब्त करने के लिए अधिकृत है।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान दृष्टान्तों को देखा गया जहां कम्पनी के द्वारा सुपुर्दगी में देरी/आपूर्तियों को शुरु नहीं करने के लिए शास्ति वसूलने एवं सुरक्षा जमा जब्त करने तथा

26 इसमें कम्पनी के लिए 6.1 लाख की प्रापण आवश्यकता सम्मिलित है।

जहां आपूर्ति एग्रीमेंट का निष्पादन नहीं करने के साथ-साथ स्वीकार किये गये मूल्यों एवं नियम व शर्तों पर जारी किये गये आदेशों को स्वीकार नहीं किया, आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यवसायिक संबंध विच्छेद करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

सामग्री की आपूर्ति में चूक के लिए शास्ति लगाने का अभाव

2.16.1 चार[27] मामलों में, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आदेशित मात्रा के विरुद्ध आंशिक आपूर्तियां दी जबकि एक मामले में (टीएन-4519 के अधीन इण्डो एल्युसिस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड), सुपुर्दगी अनुसूची के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आपूर्तिकर्ता के द्वारा आपूर्तियां शुरु नहीं की गई। इस प्रकार, सभी पांचों मामलों में, आपूर्तिकर्ता द्वारा आदेशित मात्रा की सुपुर्दगी में देरी/ आपूर्तियां शुरु नहीं करने के द्वारा अनुबंधात्मक कर्तव्यों का उल्लंघन किया गया।

हमने देखा कि चार[28] मामलों में, कम्पनी ने ₹ 0.46 करोड़ की उपलब्ध सुरक्षा जमा को जब्त नहीं करने के अतिरिक्त देरी/अनिष्पादित आपूर्तियों के लिए ₹ 1.01 करोड़ शास्ति भी वसूल नहीं की। एक मामले में ट्रांसफॉर्मर के तेल की आपूर्ति के लिए (टीएन-934 के अधीन हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड) कम्पनी के द्वारा ₹ 16.40 लाख की सुरक्षा जमा को जब्त नहीं करने के अतिरिक्त सुपुर्दगी में देरी के लिए देय ₹ 32.28 लाख की शास्ति भी माफ की।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि एक दोषी आपूर्तिकर्ता यथा *इण्डो एल्युसिस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड* के द्वारा आदेशित मात्रा के विरुद्ध टीएन-4519 के अधीन इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद आंशिक आपूर्ति की (अप्रैल 2018)। आपूर्तिकर्ता ने तथापि आगे मात्राओं की आपूर्ति नहीं की जिसके कारण आपूर्तिकर्ता को एक अन्य कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है (जून 2018) एवं कम्पनी के द्वारा आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही, उत्तर, टीएन-4448 के अधीन आदेशित सामग्री की आपूर्ति में इसके चूक के लिए इस आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरु नहीं करने के विषय पर मौन था। एक अन्य दोषी आपूर्तिकर्ता यथा *ईसन रेरोल लिमिटेड* जिसने टीएन-2169 के अधीन आंशिक आपूर्तियां की, सरकार ने बताया (नवम्बर 2018) कि कम्पनी आपूर्ति नहीं की गई मात्रा के लिए निरस्तीकरण आदेश जारी कर चुकी थी एवं आपूर्ति में देरी एवं आपूर्ति नहीं की गई मात्रा के पेटे वसूलनीय शास्ति का निर्धारण कर दिया गया। तथापि, अन्तिम वसूली / दण्ड राशि का समायोजन की स्थिति प्रतीक्षित **(नवम्बर 2018)** है।

हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के मामले में सरकार ने बताया कि संबंधित आपूर्तिकर्ता के जीओआई के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने तथा यह विचार करते हुए

---

27 इण्डो एल्युसिस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (टीएन-4448), हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीएन-934), ईसन रेरोल लिमिटेड (टीएन-2169) एवं भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (टीएन-2207)।

28 देरी से / आपूर्तियां शुरु नहीं करने के लिए शास्ति एवं सुरक्षा जमा की जब्ती की लागू राशि इण्डो एल्युसिस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (टीएन-4448) के लिए क्रमशः ₹ 31.32 लाख एवं ₹ 14.91 लाख, इण्डो एल्युसिस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (टीएन-4519) के लिए क्रमशः ₹ 26.74 लाख एवं ₹ 12.72 लाख, ईसन रेरोल लिमिटेड (टीएन-2169) के लिए क्रमशः ₹ 17.85 लाख एवं ₹ 6.91 लाख एवं भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (टीएन-2207) के लिए क्रमशः ₹ 25.44 लाख एवं ₹ 11.91 लाख।

कि ट्रांसफॉर्मर के तेल की आवश्यकता ट्रांसफॉर्मर्स मरम्मत के लिए नियुक्त फर्मों से पूरी की गई कम्पनी के प्रबंधन के द्वारा लागू शास्ति को माफ कर दिया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जीसीसी एवं क्रयादेश में आपूर्ति में देरी एवं शास्ति लगाने के लिए आपूर्तिकर्ता पर शास्ति लगाने के लिए प्रावधान था जिसे आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के साथ सम्बद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए केवल जीओआई इकाई होने के कारण लागू शास्ति को माफ करना, न्यायसंगत नहीं था।

भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड के मामले में सरकार ने बताया (नवम्बर 2018) कि कम्पनी आपूर्ति नहीं की गई मात्रा के लिए निरस्तीकरण आदेश जारी कर चुकी थी एवं आपूर्ति में देरी के पेटे वसूलनीय शास्ति का निर्धारण कर दिया गया। तथापि, अन्तिम वसूली / दण्ड राशि का समायोजन की स्थिति प्रतीक्षित (**नवम्बर 2018**) है।

दोषी आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यवसाय संबंधों पर रोक नहीं लगाना

2.16.2 कम्पनी के द्वारा जेवीवीएनएल/ जेडीवीवीएनएल द्वारा अंतिम रूप दी गई समान निविदाओं के अधीन संबंधित आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति के लिए निम्नादेश जारी किये गयेः

निविदा (टीएन) संख्या	आपूर्तित मद	आपूर्तिकर्ता का नाम	आदेशित मात्रा (किमी)	आपूर्ति आदेश की तिथि
4559[29]	एलटी एक्सएलपीई केबल	राजस्थान ट्रांसमिशन वायर प्राइवेट लिमिटेड (आरटीडब्ल्युपीएल)	1000	जून 2017
		राजस्थान ट्रांसफॉर्मर्स एण्ड स्वीचगीयर्स प्राइवेट लिमिटेड (आरटीएसएल)	900	
1207[30]	एसीएसआर विजल कंडक्टर	बंसल कंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (बीसीपीएल)	3571.50	जुलाई 2016

हमने देखा कि सभी तीनों मामलों में, शुरु में अलग-अलग डिस्कॉम्स (जेवीवीएनएल/ जेडीवीवीएनएल) जिसने समान निविदाओं को अंतिम रूप दिया, के द्वारा जारी किये गये मंशा-पत्रों (एलओआई) को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वीकार किया गया। तथापि, इन आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा आदेशित सामग्री की आपूर्ति के लिए कम्पनी के साथ एग्रीमेंट का निष्पादन नहीं किया गया।

हमने देखा कि टीएन-4559 के मामले में, कम्पनी ने ईएमडी को जब्त करने/ इसके विक्रेता पंजीकरण को रद्द करने के साथ-साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए व्यवसाय संबंध तोड़ने के लिए दोनों आपूर्तिकर्ताओं (आरटीडब्ल्युपीएल एवं आरटीएसएल) को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) देरी से जारी किये (दिसम्बर 2017)। आरटीडब्ल्युपीएल ने मार्च 2018 तक एससीएन का प्रत्युत्तर नहीं दिया जबकि आरटीएसएल ने बताया (जनवरी 2018) कि वह केवल जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल को सामग्री की आपूर्ति करने के लिए सहमत हुआ था। तथापि, जेवीवीएनएल ने पहले से ही स्पष्ट कर दिया था (22 मई 2017) कि समान निविदा के मामले में निविदादाता को सभी तीनों डिस्कॉम्स के लिए आपूर्ति के लिए उद्धृत करने थे। साथ ही, प्रचलित विशिष्ट विवरण के अनुसार क्रेता तीनों डिस्कॉम्स की आवश्यकता के अनुपात में

29 जेवीवीएनएल द्वारा अंतिम रूप दी गई समान निविदा।

30 जेडीवीवीएनएल द्वारा अंतिम रूप दी गई समान निविदा।

उनके बीच मात्रा को विभाजित करने के अधिकार को सुरक्षित रखता है तथा उसी के अनुसार एलओआई जारी किये गये।

हमने आगे देखा कि टीएन-1207 के मामले में, बीसीपीएल ने किसी वित्तीय दायित्व के बिना व्यक्तिगत आधार पर क्रयादेश को निरस्त करने का निवेदन किया (नवम्बर 2016)। कम्पनी ने निवेदन को खारिज कर दिया (17 फरवरी 2017) एवं ईएमडी को जब्त करने/ विक्रेता के पंजीकरण को रद्द करने के साथ-साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए व्यवसाय संबंध तोड़ने के लिए बीसीपीएल को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया (27 फरवरी 2017)। प्रत्युत्तर में, बीसीपीएल ने बताया (मार्च 2017) कि इसने जेडीवीवीएनएल द्वारा दिये गये प्रति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। तथापि, जेडीवीवीएनएल ने स्पष्ट किया (मई 2017) कि बीसीपीएल ने प्रति प्रस्ताव को 13 जून 2016 को स्वीकार किया था।

हमने देखा कि तीन वर्ष की अवधि के लिए इन तीनों दोषी आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यवसाय संबंध तोड़ने के लिए कम्पनी ने आगे कोई कार्यवाही (मार्च 2018 तक) नहीं की जैसा कि संबंधित वाक्यांशों के अधीन प्रावधान था।

सरकार ने उत्तर में बताया कि कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद, आरटीडब्ल्युपीएल एवं आरटीएसएल ने क्रमशः आदेश को निरस्त करने अथवा सुपुर्दगी अनुसूची को पुनरीक्षित करने तथा आवंटित मात्रा को निरस्त करने के लिए निवेदन किया। जैसा कि इस निविदा (टीएन-4559) के अधीन आपूर्ति दर आगामी निविदा से कम थी, आरटीडब्ल्युपीएल की सुपुर्दगी अवधि को बढ़ा दिया एवं आरटीडब्ल्युपीएल के द्वारा आदेशित मात्रा के विरुद्ध 22.360 किमी केबल की आपूर्ति की जबकि आरटीसीएल को आवंटित मात्रा के निरस्तीकरण का मामला तीनों डिस्कॉम्स की निस्तारण समिति के पास लम्बित था। इसने आगे बताया कि बीसीपीएल के मामले में, सीएलपीसी ने ईएमडी को जब्त करने अथवा ईएमडी राशि को वसूलने के लिए विक्रेता के पंजीकरण को रद्द करने के साथ-साथ आदेशित मात्रा को निरस्त करने का निश्चय किया (जुलाई 2018)। तथ्य इस प्रकार रहा कि आपूर्तियां शुरु नहीं करने पर भी इन आपूर्तिकर्ताओं को एससीएन जारी करने से क्रमशः सात माह एवं 17 माह व्यतीत होने के उपरांत भी आरटीसीएल एवं बीसीपीएल के विरुद्ध व्यवसाय संबंध तोड़ने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जबकि तय मानकों की अवहेलना में आरटीडब्ल्यूपीएल की आपूर्ति अवधि को आगे बढाया गया। सभी तीन प्रकरणों में आगामी कार्यवाही प्रतीक्षित है **(नवम्बर 2018)**।

सामग्री का निरीक्षण/ जांच

2.17 कम्पनी के निरीक्षण प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना था कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित सामग्री अपेक्षित गुणवत्ता एवं विनिर्देशों के अनुरूप थी। साथ ही, निर्दिष्ट प्रयोगशालाओं में आवश्यक जांच के उपरांत ही सामग्री को स्वीकार किया जाना था। ट्रांसफॉर्मर्स के मामले में, कम्पनी द्वारा जारी किये गये क्रयादेशों में प्रावधान था कि प्रत्येक समूह[31] अथवा उसके किसी भाग में से एक ट्रांसफॉर्मर को नियत वॉल्टेज के 50 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत भार पर कुल हानियों[32] की गणना हेतु चयनित किया जाना था। उन मामलों में

31 संबंधित क्रयादेश में निर्दिष्टानुसार एक समूह में 25 अथवा 10 ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं।

32 यह नियत वॉल्टेज के 50 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत भार पर ट्रांसफॉर्मर्स की कुल ऊर्जा हानियों के स्तर को दर्शाता है।

जहां 100 प्रतिशत भार पर कुल हानियां निर्दिष्ट हानियों से 10 प्रतिशत से अधिक पाई गई हों वहां संबंधित समूह को निरस्त करने के साथ साथ फर्म का शेष आदेश भी निरस्त किया जाना था। साथ ही, संबंधित आपूर्तिकर्ता को एक वर्ष अथवा समान रेटिंग की अगली निविदा के खोले जाने/ अंतिमीकरण, जो भी बाद में हो, तक कोई भी क्रयादेश प्रदान नहीं किया जाना था।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने ऐसे प्रकरण देखे जहां कम्पनी ने उचित निरीक्षण एवं जांच के बिना सामग्री प्राप्त की एवं संबंधित आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध तुरंत कार्यवाही करने की बजाय अमानक सामग्री का उपयोग कर लिया। विवरण निम्नानुसार है:

निर्दिष्ट जांच को सुनिश्चित किये बिना ट्रांसफॉर्मर्स स्वीकार करना

2.17.1 हमने पाया कि कम्पनी ने निम्न मामलों में ट्रांसफॉर्मर्स की निर्दिष्ट जांच को सुनिश्चित नहीं किया:

- कम्पनी ने टीएन-1052 के अंतर्गत दो आपूर्तिकर्ताओं (अनुपम उद्योग एवं मोर ट्रांसफॉर्मर्स) को प्रत्येक से 1000 ट्रांसफॉर्मर्स (16 केवीए) के क्रय हेतु पुनः क्रयादेश प्रदान (जनवरी 2017 एवं फरवरी 2017) किया। हमने पाया कि कम्पनी ने 13 समूहों में 126 ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति इन समूहों में से कोई नमूना चयन किये बिना स्वीकार की।
- कम्पनी ने हार्दिक ट्रांसफॉर्मर्स प्राईवेट लिमिटेड को टीएन 2218 के अंतर्गत 292 ट्रांसफॉर्मर्स (25 केवीए तीन फेज) का क्रयादेश प्रदान (मई 2014) किया। हमने पाया कि कम्पनी ने 10 ट्रांसफॉर्मर्स के पांच[33] समूहों में से कोई नमूना नहीं लिया।

इस प्रकार कम्पनी ने ₹ 70.45 लाख मूल्य के 176 ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति निर्दिष्ट प्रमापों एवं तकनीकी मानकों के अनुसार इनकी जांच किये बिना स्वीकार कर ली। कम्पनी ने ट्रांसफॉर्मरवार निष्पादन का विवरण संधारित नहीं किया एवं इस कारण लेखापरीक्षा इन ट्रांसफॉर्मर्स की असफलता दर की जांच नहीं कर सकी।

सरकार ने कहा कि समूहों की जांच हेतु नमूनों का चयन क्रयादेश में निर्दिष्ट नमूना योजना के अनुसार किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नमूनों के चयन का तरीका दोषपूर्ण था क्योंकि इससे क्रयादेश के प्रावधानों के अनुसार ट्रांसफॉर्मर्स के प्रत्येक समूह में से नमूना नहीं लिया जा सका तथा कुछ समूह पूर्णतया छूट गये।

आपूर्ति को रद्द करने का अभाव/ दोषी आपूर्तिकर्ता को वर्जित करने का अभाव

2.17.2 हमने पाया कि सीटीएल द्वारा की गई आवश्यक जांच में ट्रांसफॉर्मर्स के असफल हो जाने के उपरान्त भी कम्पनी ने निम्न मामलों में दोषी आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की:

- कल्पना इन्डस्ट्रीज (आपूर्तिकर्ता) के मामले में 25 केवीए ट्रांसफॉर्मर के एक विशेष समूह को केन्द्रीय जांच प्रयोगशाला (सीटीएल) में जांच के दौरान इस आधार पर असफल घोषित (29 मई 2014) किया कि नमूना जांच के दौरान 100 प्रतिशत भार पर ट्रांसफॉर्मर्स में अभिलेखित की गई कुल हानियां (395.50 वॉट) निर्दिष्ट हानियों (315 वाट) से 10 प्रतिशत से भी अधिक थी। हमने पाया कि कम्पनी ने उक्त समूह को रद्द करने के उपरान्त भी संबंधित क्रयादेश के प्रावधानों के अनुसार आपूर्तिकर्ता को

---

33 क्रम संख्या 2195-2204, 2225-2234, 2245-2254, 2295-2304 एवं 2325-2334

अगली निविदाओं[34] में भाग लेने से वर्जित करते हुए शेष आपूर्ति रद्द नहीं की। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने उक्त निविदा (टीएन-2223) के अंतर्गत ₹ 1.59 करोड़ मूल्य के ट्रांसफॉर्मर्स की ओर आपूर्ति स्वीकार की तथा आपूर्तिकर्ता को आगामी निविदाओं में ₹ 1.08 करोड़ मूल्य के ओर आपूर्ति आदेश भी प्रदान किये।

- अनुपम उद्योग को टीएन-1052 के अंतर्गत 1000 ट्रांसफॉर्मर्स (16 केवीए) की आपूर्ति के पुनः क्रयादेश प्रदान किये जाने के मामले में 100 प्रतिशत भार पर नमूना ट्रांसफॉर्मर्स (क्रम संख्या 35306) की हानियां 538.83 वॉट अभिलेखित (मार्च 2017) की गई जो कि निर्दिष्ट अधिकतम कुल हानियों (440) से 10 प्रतिशत से भी अधिक थी। हमने पाया कि कम्पनी ने संबंधित समूह (35301 से 35310) को रद्द कर दिया परंतु शेष आदेश को रद्द नहीं किया तथा ₹ 1.83 करोड़ के शेष 484 ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति स्वीकार कर ली जबकि क्रयादेश में वर्तमान निविदा की संपूर्ण आदेशित मात्रा को रद्द किये जाने तथा आगामी निविदा अथवा एक वर्ष जो भी बाद में हो तक वर्जित किये जाने का प्रावधान था। इस प्रकार, कम्पनी ने क्रयादेश में तय किये गये प्रावधानों के उल्लंघन में संबंधित आपूर्तिकर्ता पर शेष आपूर्ति को रद्द करने एवं आपूर्तिकर्ता को वर्जित किये जाने की आवश्यक कार्यवाही नहीं की।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा (नवम्बर 2018) कि चूक एवं क्रयादेशों के गलत प्रावधानों को लागू किये जाने के कारण इन दोषी आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने भविष्य में ऐसे मामलों में तय प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु आश्वासित किया।

सामग्री प्रबंधन

2.18 एक प्रभावी सामग्री प्रबंधन प्रणाली का लक्ष्य अधिक स्टॉक को टालकर पूँजीगत निवेश को कम करना, मांग की अस्थिरता को संभालने हेतु आवश्यक सामग्री की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा अप्रचलन एवं गुणवत्ता में कमी के कारण हानि के जोखिम को कम करना होता है। एसई (आईएण्डएस) समग्र सामग्री प्रबंधन हेतु जवाबदेय है। लेखापरीक्षा जांच में सामग्री प्रबंधन में ₹ 69.65 करोड़ की निहित राशि की कमियां उजागर हुई। इनमें, स्टोर नियमावली में सामग्री जारी करने एवं लेखांकन करने की निर्दिष्ट पद्धति को लागू किये जाने का अभाव (₹ 3.01 करोड़), अतिरिक्त प्रापण के कारण निरर्थक सामग्री (₹ 9.11 करोड़), गारंटी अवधि में असफल सामग्री की मरम्मत में विलम्ब (₹ 36.62 करोड़), आवश्यक जांच के बिना टर्नकी ठेकेदारों से अतिरिक्त सामग्री को स्वीकार करना तथा उचित अनुमोदन के बिना सामग्री का उपयोग (₹ 10.47 करोड़), चोरी, आग, गबन के कारण सामग्री की हानि (₹ 2.04 करोड़) तथा ट्रांसफॉर्मर्स के निस्तारण में विलम्ब (₹ 8.40 करोड़) सम्मिलित हैं।

सामग्री नियंत्रण

2.19 क्रय नियमावली में प्रावधान है कि जहां तक संभव हो क्रय की जाने वाली मदों की मात्रा

34 टीएन-2269 (16 सितम्बर 2014) के अंतर्गत ₹ 99.70 लाख एवं टीएन-2245 (26 अगस्त 2014) के अंतर्गत ₹ 8.42 लाख के 25 केवीए ट्रांसफॉर्मर्स।

सामग्री नियंत्रण की तकनीकों यथा न्यूनतम स्तर, पुनः क्रयादेश स्तर एवं अधिकतम स्तर के निर्धारण तथा मूल्य विश्लेषण (एबीसी) एवं सामग्री के चलन के विश्लेषण को लागू करके निर्धारित की जाये। तथापि, कम्पनी ने सामग्री के प्रभावी प्रबंधन हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण स्तर निर्धारित नहीं किये। कम्पनी ने निवेश, सामग्री धारण लागत एवं सामग्री के अप्रचलन व गुणवत्ता में कमी के जोखिम को न्यूनतम रखने के लिये मूल्य विश्लेषण भी नहीं किया।

कम्पनी द्वारा चलन के आधार पर सामग्री की मदों के वर्गीकरण हेतु मानक एवं क्रियाविधि भी निर्धारित की जानी थी तथा उसी अनुसार सामग्री के चलन की निगरानी की जानी थी। हमने देखा कि कम्पनी ने सामग्री की मदों को धीमी गति से चलन, रुकी हुई और अप्रचलित मदों में वर्गीकृत करने के लिए कोई मानक तथा पद्धति निर्धारित नहीं की थी। तथापि, कम्पनी ने बिना किसी एकरूप वर्गीकरण के अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से धीमी गति से चलने, रुकी हुई एवं अप्रचलित मदों हेतु रिपोर्ट तैयार की। हमने पाया कि इस तरह की रिपोर्ट बनाने के लिए अपनाए गए मापदंड विभिन्न एसीओएस के लिए अलग-अलग थे क्योंकि यह कम्पनी के मुख्यालय से किसी भी परिपत्र / निर्देशों के माध्यम से निर्धारित नहीं किया गया था। इस प्रकार, वर्गीकरण किसी भी मानक प्रक्रिया / मानदंडों के बिना किया गया था।

2013-18 की अवधि के लिए कम्पनी की लेखा पुस्तकों में दर्शायी गई सामग्री की स्थिति निम्नानुसार थीः

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	सामग्री का आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त हुई सामग्री	वर्ष के दौरान जारी की गई सामग्री	सामग्री का अन्तिम शेष	वर्ष के दौरान औसत सामग्री[35]	वर्ष के दौरान औसत सामग्री (महिनों में)
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)*12 महीने
2013-14	93.42	947.12	947.07	93.47	93.45	1.18
2014-15	93.47	825.87	775.98	143.36	118.42	1.83
2015-16	143.36	715.13	705.26	153.23	148.30	2.52
2016-17	153.23	631.09	646.83	137.49	145.36	2.70
2017-18	137.49	672.59	709.13	100.95	119.22	2.02

यह देखा जा सकता है कि 2013-14 से 2017-18 के दौरान कम्पनी का अंतिम स्टॉक ₹93.47 करोड़ से ₹ 153.23 करोड़ के मध्य था। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि अंतिम स्टॉक के मूल्य की गणना करते समय, कम्पनी ने केवल एसीओएस के पास पड़ी सामग्री के अंतिम शेष को ध्यान में रखा तथा उप-खण्ड भंडारों में स्थित सामग्री के अंतिम शेष पर विचार नहीं किया। साथ ही, कम्पनी ने एसीओएस से जारी की गई सामग्री का लेखा प्रगति पर कार्य के अंतर्गत किया तथा उपखण्ड भण्डारों पर सामग्री के अंतिम शेष को लेखा पुस्तकों में अलग से नहीं दर्शाया। उप-खण्ड भंडारों में सामग्री की स्थिति के विवरण के अभाव में, समग्र रूप से कम्पनी के लिए सामग्री स्तर एवं इसकी उपयुक्तता का विश्लेषण नहीं किया जा सका। तथापि, हमने देखा कि 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान एसीओएस[36] द्वारा धारित औसत सामग्री 1.18 से 2.70 महीने के मध्य थी।

35 वर्ष के दौरान औसत सामग्री = (सामग्री का प्रारम्भिक शेष + सामग्री का अन्तिम शेष)/2

36 इसमें कम्पनी के उप-खण्डों द्वारा धारित सामग्री सम्मिलित नहीं है।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि पिछले तीन वर्षों की तुलना में 2017-18 में एसीओएस में सामग्री का स्तर कम हुआ है। साथ ही यह कहा कि सामग्री के विभिन्न स्तरों, मूल्य विश्लेषण, चलन विश्लेषण, एवं सामग्री के लेखांकन की प्रणाली में सुधार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, व्यवसाय संसाधन आयोजना (ईआरपी) आधारित सामग्री नियंत्रण प्रणाली भी लागू की जा रही है जिसे इस तरह की अनियमितताओं / कमियों को दूर करने के लिए वर्तमान सामग्री प्रबंधन प्रणाली में विकसित किया जाएगा।

सामग्री जारी करने की दर का अनुचित निर्धारण

2.19.1 भण्डार नियमावली के वाक्यांश 9.17 में प्रावधान है कि सामग्री के वितरण के बाद किए गए सभी प्रभारों सहित वार्षिक एकरूप भण्डारण दर 'भण्डारण' शीर्ष के अंतर्गत लेखा किया जाना है एवं सामग्री जारी करने के प्रपत्र (एसआईएन) के माध्यम से जारी किए गए माल के मूल्य प्रभारित किया जाना है। हमने देखा कि एसई (आईएण्डएस) ने कुल अनुमानित वार्षिक भंडारण व्यय के आधार पर एकरूप भंडारण दर तय नहीं की तथा इसके स्थान पर सामग्री की लागत में मूल्य विचलन के पेटे 15 प्रतिशत की वृद्धि के बाद 'सामग्री जारी करने की दर' (एसआईआर) निर्धारित की। इस प्रकार गणना की गई एसआईआर कार्यों की लागत के पूँजीकरण हेतु फील्ड कार्यालयों / कार्यों को जारी की गई सामग्री की लागत पर प्रभारित की गई। भण्डार नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित वास्तविक भंडारण दर की अनुपस्थिति में, कम्पनी द्वारा कार्यों पर भंडारण की लागत को अधिक प्रभारित / कम प्रभारित किये जाने को लेखापरीक्षा द्वारा तय नहीं किया जा सका।

सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि डीसीएफ के निर्णय (18 सितंबर 2009) के अनुसार, मूल्य विचलन के पेटे सामग्री की लागत में 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ एसआईआर की गणना की गई तथा कहा कि एसआईआर निर्धारित करने के लिए सामग्री की भंडारण लागत की गणना करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जा रही है। इसने आगे कहा कि इस संबंध में भण्डार नियमावली/क्रय नियमावली को संशोधित करने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है।

भण्डार एवं सामग्री प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन

2.19.2 कम्पनी ने नेक्सजेन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड (नेक्सजेन) को ₹ 3.63 लाख की लागत से भण्डार एवं सामग्री के प्रबंधन के लिए पूर्णतया समर्पित सॉफ्टवेयर के विकास का कार्य प्रदान किया (जनवरी 2006) तथा कार्य को साठ दिनों की अवधि में पूर्ण किया जाना था। सॉफ्टवेयर के कार्यक्षेत्र में 59 रिपोर्ट / विवरण-पत्र का सृजन शामिल था। विकासकर्ता को अजमेर और उदयपुर एसीओएस में सफल परीक्षण एवं सत्यता जांच करनी थी। हमने देखा कि परीक्षण हेतु अजमेर एवं उदयपुर में सॉफ्टवेयर की स्थापना से संबंधित कोई प्रतिवदेन और सॉफ्टवेयर के सही होने का विश्लेषण करने के लिए जांच प्रतिवेदन अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

यह पाया गया कि नेक्सजेन द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर (पुराना संस्करण) जून 2006 से जनवरी 2017 तक उपयोग में था। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग सामग्री प्रबंधन के एक प्रभावी औजार के रूप में नहीं किया जा सका क्योंकि यह कार्यादेश के अनुसार कार्य करने और इच्छित प्रतिवेदन प्रदान करने में विफल रहा। सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन एवं प्रतिवेदनों/ विवरण-पत्रों के सृजन में निम्न कमियां पाई गईः

- सॉफ्टवेयर न्यूनतम और अधिकतम सामग्री स्तर, खण्ड-वार प्रभारित शीर्ष वार लेखा, सामग्री ट्रैकिंग रजिस्टर, सामग्री के आयु वार विश्लेषण आदि से संबंधित प्रतिवेदन सृजित नहीं कर सका।
- सॉफ्टवेयर में परीक्षण के लिए भेजी गई सामग्री के लेखांकन के लिए प्रावधान नहीं था इस प्रकार इसका लेखांकन मानवीय रूप से किया गया था।
- सॉफ्टवेयर पूर्व तिथि को धीमी गति चलन वाली / रुकी हुई मदों के प्रतिवेदन सृजित नहीं कर सका।
- एसीओएस ने विभिन्न परिचालन समस्याओं यथा खाली भण्डार प्राप्ति नोट (एसआरएन), भण्डार जारी नोट (एसआईएन) में क्रमांक की प्रविष्टि का अभाव, लेनदेन की भारी मात्रा का लेखा करने में विफलता, विभिन्न रिपोर्टों में गलत और असंगत सामग्री शेष दर्शाया जाना आदि का सामना किया। इसके अलावा, सॉफ़्टवेयर कम्पनी द्वारा खरीदे गए नवीनतम हार्डवेयर द्वारा समर्थित नहीं था।

सॉफ्टवेयर में उपर्युक्त कमियों और परिचालन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान भण्डार एवं सामग्री प्रबंधन प्रणाली (एसआईएमएस) को अद्यतित एवं संशोधित करने का कार्य विज़ुअल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 1.73 लाख की लागत पर प्रदान (27 दिसम्बर 2016) किया गया। इस कार्य में सामग्री परीक्षण प्रवाह, गारंटी में असफल/ मरम्मत की गई सामग्री (ट्रांसफॉर्मर्स, सीटीपीटी सेट और मीटर) के लेखांकन की सुविधा, प्राप्ति / जारी करने की बहु-उपयोगकर्ता प्रविष्ठि तथा रिपोर्टिंग सुविधा का बहु-वर्षीय संकलन शामिल है। विकसित सॉफ्टवेयर को स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (लेन) के माध्यम से सभी वृतीय भण्डार कार्यालयों में वेब आधारित संरचना पर कार्य करना था और दिन के अंत में डाटा को कम्पनी के वेब सर्वर पर अद्यतित किया जाना था। डाटा को कम्पनी के मुख्यालय स्तर पर संकलित किया जाना था।

सॉफ्टवेयर का संशोधित संस्करण जनवरी 2017 से लागू किया गया था। हालांकि, सॉफ्टवेयर के संशोधित संस्करण के कार्यान्वयन और इसके द्वारा सृजित निर्गत प्रतिवदेनों / विवरण-पत्रों में निम्न विसंगतियां पाई गईः

- सॉफ्टवेयर का संशोधित संस्करण भी एक पूर्व तिथि पर धीमी गति से चलने वाली/ रुकी हुई मदों के प्रतिवेदन सृजित नहीं कर सका।
- सॉफ्टवेयर को अद्यतित करने के लिए जारी किए गए कार्यादेश में सॉफ्टवेयर के पुराने संस्करण से संशोधित संस्करण में डाटा के स्थानान्तरण के घटक शामिल नहीं थे। परिणामस्वरूप, संशोधित सॉफ्टवेयर मौजूदा प्रणाली के साथ एकीकृत नहीं था और पुराने संस्करण के डेटा को एक अलग प्रणाली में रखा गया था। इस प्रकार सॉफ्टवेयर का संशोधित संस्करण एकीकृत निर्गत उत्पन्न करने के लिए उपयोग में नहीं लिया जा सका। इसके परिणामस्वरूप, कम्पनी ने पुराने संस्करण से 12 साल के विद्यमान डेटा का सॉफ्टवेयर के संशोधित संस्करण में स्थानान्तरण का कार्य ₹ 7.78 लाख की अतिरिक्त लागत पर अलग से प्रदान (जून 2018) किया।
- सॉफ्टवेयर लेन के माध्यम से एसीओएस के मध्य एकीकृत नहीं किया गया था और दिन के अंत में डेटा कम्पनी के वेब सर्वर पर उपलब्ध नहीं था। मार्च 2018 तक मुख्यालय में प्रतिवेदन संकलित नहीं किये गये थे।

- सॉफ़्टवेयर के संशोधित संस्करण में सामग्री की उन मदों (ट्रांसफॉर्मर, सीटीपीटी सेट, मीटर, वीसीबीज आदि) के संबंध में प्रतिवेदन सृजित करने का प्रावधान नहीं था जो गारंटी अवधि में या उसके पश्चात विफल हो गई थी और संबंधित भण्डार / आपूर्तिकर्ताओं के पास पड़ी थी। डेटा को अलग से एमएस एक्सल में रखा गया था। इस प्रकार कम्पनी इस तरह के उच्च मूल्य की मदों की स्थिति की निगरानी और इस सॉफ्टवेयर की सहायता से विफल वस्तुओं के प्रतिस्थापन नहीं किये जाने / प्रतिस्थापन में देरी के लिए आपूर्तिकर्ताओं पर लगाए जाने वाली शास्ति की गणना नहीं कर पाई।

इस प्रकार, सॉफ्टवेयर के संशोधित संस्करण को भी सामग्री प्रबंधन के एक प्रभावी उपकरण के रूप में उपयोग नहीं किया जा सका।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि संशोधित सॉफ्टवेयर एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर है, जो सभी एसीओएस में स्थापित किया गया है और डीसीओएस में एक सर्वर स्थापित किया गया है, परंतु इंटरनेट की धीमी गति के कारण एसीओएस के डेटा को डीसीओएस स्तर के सर्वर में स्थानांतरित नहीं किया जा सका। इसने आगे कहा कि डेटा स्थानान्तरण की समस्या को दूर करने के लिए एक उच्च गति का लीज लाइन कनेक्शन लिया जाना है। सरकार ने आगे कहा कि संशोधित सॉफ्टवेयर में उन मदों के लिए एक मॉड्यूल है जो गारंटी अवधि के दौरान विफल रही परंतु सॉफ्टवेयर के पुराने संस्करण से डेटा का स्थानान्तरण नहीं होने के कारण यह अपेक्षित प्रतिवेदन सृजित नहीं कर सका। निकासी सभा के दौरान, कम्पनी के प्रबंधन ने जुलाई 2018 के अंत तक डेटा स्थानान्तरण का कार्य पूर्ण करने का आश्वासन प्रदान किया। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है **(नवंबर 2018)**।

सामग्री का लेखांकन

2.19.3 भण्डार नियमावली ने विभिन्न प्रकार के कार्यों और सामग्री के लिए **32 प्रकार के भण्डार पर नियंत्रण (सीओएस) प्रारूपों** के माध्यम से स्टोरकीपिंग, लेखांकन और सामग्री नियंत्रण की प्रणाली निर्धारित की। कुशल लेखांकन, निगरानी, नियंत्रण और प्रभावी सूचना प्रणाली के लिए एसीओएस और उप-खण्ड भंडारों के लिए इन सीओएस प्रारूपों में सामग्री के अभिलेखों का संधारण करना आवश्यक था। सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन के बाद, एसीओएस स्तर पर सामग्री का लेखांकन आईटी सक्षम प्रणाली पर किया गया था, हालांकि, उप-खण्ड स्तर पर लेखांकन मानवीय रूप से जारी रहा। हमने देखा कि एसआईएमएस के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए लेखांकन और अभिलेख संधारण के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए थे। हमने यह भी देखा कि एसआईएमएस के दोनों संस्करण, भण्डार नियमावली में निर्धारित सभी सीओएस प्रारूप (वृत की सामग्री के भण्डार विवरण खाते (सीओएस-14), भण्डार प्राप्ति नोट (सीओएस-8) और भण्डार जारी करने के नोट (सीओएस-18) को छोड़कर) आईटी प्रणाली के माध्यम से संधारित नहीं किये जा रहे थे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि उप-खण्ड स्तर पर लेखांकन के लिए भी एक आईटी सक्षम प्रणाली विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, एसआईएमएस के कार्यान्वयन के पश्चात सामग्री के लेखांकन के लिए कोई दिशानिर्देश जारी नहीं करने के संबंध में उत्तर मौन था।

सामग्री को जारी करना एवं लेखाकंन

2.19.4 भण्डार नियमावली का वाक्यांश 8.2 एक अनुमान पत्र (सीओएस-16) के संधारण की अनिवार्यता का प्रावधान करता है जिसमें एक कार्यादेश के लिये आवश्यक संचालन / रखरखाव / पूंजी कार्यों के लिए स्वीकृत अनुमान / उप-अनुमान के समक्ष प्रत्येक वर्ग / प्रकार की सामग्री की मात्रा का अनुमान बनाना तथा खण्ड/ उप-खण्ड अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित करवाना होता है। भण्डार नियमावली के वाक्यांश 8.3 और 8.4 में सामग्री जारी करने हेतु भण्डार मांग-पत्र (सीओएस 17) नामक मांग-पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है जिसमें उस भण्डार / उप-खण्ड का नाम जिसके लिए सामग्री की आवश्यकता है, कार्य/ कार्यादेश क्रम संख्या, लेखा शीर्ष, आवश्यकता का उद्देश्य, कार्य पहचान पत्र, व्यक्ति का नाम जिसे माल जारी किया जाना है, आदि का उल्लेख होता है। हमने देखा कि सभी चयनित एसीओएस में उप-खण्डों द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र (सीओएस -17) में कार्य पहचान पत्र (डब्ल्यूआईएम), लेखा शीर्ष, आवश्यकता का उद्देश्य का संदर्भ नहीं था। साथ ही, सामग्री अनुमान पत्र की प्रस्तुति के बिना जारी की गई थी।

चयनित एसीओएस तथा उनके अंतर्गत 15 उप-खंडों में सामग्री की प्राप्ति और जारी करने से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गई :

भण्डार नियमावली का प्रावधान	*कम्पनी द्वारा अपनाई गई पद्धति*
उप-खंड कार्यालयों द्वारा एसीओएस को भण्डार मांग-पत्र (सीओएस 17) प्रस्तुत किया जाना था और एसीओएस द्वारा भण्डार जारी करने के पत्र (सीओएस 18) के माध्यम से सामग्री जारी की जानी थी। तत्पश्चात, दोनों सीओएस प्रारूपों (सीओएस 17 और 18) को मिला दिया गया और तदनुसार, उप-खंड कार्यालयों को अनुमान कार्ड (सीओएस 16) के साथ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक मांगपत्र / भण्डार मांग-पत्र पांच प्रतियों में जमा करवाया जाना था।	• नमूना जांच किये गये सात[37] उप-खंडों द्वारा मांग-पत्र की मूल प्रति खाली रखी गई थी तथा चार प्रतियां एसीओएस को भेजी गई थी। यह पाया गया कि मांग-पत्र एसीओएस में भरे गये तथा तदानुसार सामग्री जारी की गई। कुछ मामलों में, गेट पास जिनके द्वारा सामग्री जारी की गई थी मांग पत्र/ सामग्री मांग-पत्र पर चस्पा पाये गये। • चयनित उप-खंडों के अंतर्गत सात[38] कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा मांग-पत्र हाथ से बनाये गये थे तथा यह सीओएस 17 प्रारूप में नहीं थे तथा इनमें लेखा शीर्ष, जारी किये जाने का उद्देश्य, डब्ल्यूआईएम क्रमांक एवं कार्यादेश क्रमांक का उल्लेख नहीं था। • चार[39] उप-खंडों के कनिष्ठ अभियंताओं ने चल रहे कार्यों हेतु उप-खंडों द्वारा उनको जारी सामग्री हेतु मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किये थे।
भण्डारपाल द्वारा सामग्री जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों का एक रजिस्टर का संधारण किया जायेगा जिसमें संबंधित एसई/ कार्यपालक अभियंता द्वारा सूचित किये गये नमूना हस्ताक्षर होगें तथा सामग्री जारी करने से पूर्व उनका मिलान किया जायेगा।	• संबंधित एसई/ कार्यपालक अभियंता ने एसीओएस से सामग्री की मांग करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों के नाम एवं नमूना हस्ताक्षर सूचित नहीं किये। एसीओएस ने भी यह सुनिश्चित किये बिना उप-खंड/ कार्यों को सामग्री जारी कर दी कि मांग-पत्र प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किये गये हैं। • नमूना जांच किये गये सभी उप-खंडों (आरएपीडीआरपी, उदयपुर एवं मधुबन के अतिरिक्त) के भण्डारपालों ने

37 (i) पुष्कर, (ii) झाड़ौल, (iii) मधुबन, (iv) आरएपीडीआरपी-उदयपुर, (v) पलसाना, (vi) लक्ष्मनगढ़ एवं (vii) पीपराली।

38 (i) पुष्कर, (ii) झाड़ौल, (iii) श्री माधोपुर, (iv) भदेसर, (v) डूंगला, (vi) बड़ी सादड़ी एवं (vii) पलसाना।

39 (i) पीपराली, (ii) भिंडर, (iii) मावली एवं (iv) आरएपीडीआरपी-उदयपुर।

	कनिष्ठ अभियंताओं के मांग-पत्रों हेतु संबंधित एईएन से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया।
एसीओएस द्वारा एसआईएन पांच प्रतियों में बनाया जाना था तथा इसे मांग करने वाले, भण्डार लेखा तथा वृत लेखा को उपलब्ध करवाया जाना था।	चयनित चारों एसीओएस ने एसआईएन चार प्रतियों में संधारित की परंतु एसआईएन की सभी प्रतियां स्वयं के पास रखी तथा मांग करने वाले, भण्डार लेखा तथा वृत्त लेखा को यह प्रतियां उपलब्ध नहीं करवाई। उप-खंड कार्यालयों पर भण्डार मांग-पत्र एवं एसआईएन की प्रतियों के अभाव में अनुमान पत्र नहीं भरे गये तथा वृत्त लेखों को लेखाकंन हेतु नहीं भेजे गये।
उप-खंडों से कनिष्ठ अभियंताओं को सामग्री जारी करने हेतु गेट पास तीन प्रतियों में बनाया जाना चाहिये तथा संदेशवाहक एवं कनिष्ठ अभियंताओं को उपलब्ध करवाया जाना चाहिये।	भण्डारपालों द्वारा कनिष्ठ अभियंताओं को ऐसे गेट पास द्वारा सामग्री जारी की गई जिसमें प्राप्तकर्ता का नाम, कार्य का नाम एवं जारी किये जाने के उद्देश्य का वर्णन नहीं था। साथ ही, छः[40] उप-खंडों द्वारा गेट पास की दो प्रतियां संधारित की गई तथा इन्हें संदेशवाहक एवं संबंधित कनिष्ठ अभियंताओं को उपलब्ध नहीं करवाया गया था।

सरकार ने इन तथ्यों को स्वीकार किया कि कुछ उप-खंडों में मांग-पत्रों को खाली रखे जाने की गलती हुई थी क्योंकि प्रणाली से अवगत नहीं होने के कारण संबंधित भण्डारपालों को अभिलेख संधारित करने का आवश्यक ज्ञान नहीं था तथा यह आश्वासन प्रदान किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की गलतियां दोहराई नहीं जायेगी। यह भी स्वीकार किया गया कि प्राधिकृत अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षरों की पुष्टी की तय प्रणाली एवं उप-खंडों को एसआईएन जारी करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था तथा भविष्य में तय प्रणाली/प्रक्रिया का पालन किये जाने का आश्वासन प्रदान किया गया। यह भी कहा गया कि सामग्री के अनुचित लेखाकंन एवं निगरानी की समस्या को उप-खंड स्तर पर आईटी आधारित सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के पश्चात दूर कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, एसीओएस को सामग्री की निगरानी रखने तथा नियमित आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये उप-खंड भंडारों का दौरा करने हेतु निर्देशित (अक्टूबर 2017) किया गया है।

अपूर्ण अभिलेखीकरण

2.19.5 भण्डार नियमावली एवं समय समय पर प्रबंध द्वारा जारी निर्देश सामग्री के लेखाकंन से संबंधित अभिलेखीकरण की प्रकिया को निर्धारित करते हैं। चयनित एसीओएस से सामग्री की मांग करने वाले 15 उप-खंडों के अभिलेखों की नमूना जांच द्वारा निम्नलिखित कमियां उजागर हुईः

- चयनित उप-खंड भंडारों द्वारा जारी किये गये निर्देशों (26 फरवरी 2010) के अनुसार प्रत्येक कार्यादेश हेतु कार्य पहचान पत्र के अनुसार कार्य-पत्रकों एवं ट्रांसफॉर्मर चलन रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया था। साथ ही, चयनित सभी उप-खंडों में कार्य में संलग्न कनिष्ठ अभियंताओं एवं ठेकेदारों द्वारा *'कार्यस्थल पर सामग्री का खाता'* नहीं संधारित किया गया।
- कम्पनी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को सामग्री एवं भण्डार के अभिलेख संधारित करने हेतु निर्धारित प्रारूपों (सीओएस 6ः भण्डार सह मात्रा खाता) में मुद्रित स्टेशनरी उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित नहीं किया। आवश्यक मुद्रित स्टेशनरी के अभाव में सभी चयनित उप-खंडों द्वारा सामग्री के लेखों का संधारण बाजार से क्रय किये गये

40 (i) रींगस, (ii) पलसाना, (iii) श्री माधोपुर, (iv) भदेसर, (v) डूंगला एवं (vi) बड़ी सादड़ी।

भण्डार रजिस्टरों में किया गया जिसमें केवल सामग्री के मात्रात्मक विवरण यथा प्राप्ति, जारी करना एवं सामग्री का शेष दर्ज किये गये।

- चयनित उप-खंडों (आरएपीडीआरपी-उदयपुर एवं मधुबन को छोड़कर) के कनिष्ठ अभियंताओं ने उप-खंड भंडारों से प्राप्त तथा ठेकेदारों को जारी की गई सामग्री के लेखांकन हेतु भण्डार रजिस्टर संधारित नहीं किया। साथ ही, कनिष्ठ अभियंताओं एवं ठेकेदारों द्वारा विशिष्ठ कार्यादेश हेतु जारी एवं उपयोग की गई सामग्री के लिये कार्यस्थल पर सामग्री का खाता संधारित नहीं किया गया था।
- चयनित उप-खंडों (आरएपीडीआरपी-उदयपुर, डूंगला एवं बड़ी सादड़ी को छोड़कर) द्वारा ट्रांसफॉर्मर्स असफलता रजिस्टर संधारित किया जा रहा था। तथापि, यह रजिस्टर एसीओएस में जमा करवाये गये ट्रांसफॉर्मर्स एवं असफलता प्रतिवेदन के संबंध में समुचित उल्लेख के बिना हाथ से बनाये गये प्रारूपों में संधारित किये गये थे। इसके अतिरिक्त, इन रजिस्टरों के संधारण हेतु कोई समान प्रारूप नहीं अपनाया गया था। साथ ही, चयनित उप-खंड भंडारों में से किसी ने भी जले हुये ट्रांसफॉर्मर्स से निकाले गये ट्रांसफॉर्मर ऑयल के अभिलेख संधारित नहीं किये।
- चयनित उप-खंडों के भण्डारपालों द्वारा संधारित रजिस्टर ना तो भण्डारपालों द्वारा हस्ताक्षरित थे और ना ही संबंधित एईएन को प्रस्तुत/सत्यापित किये गये थे।
- चयनित 13 उप-खंडों[41] में, भण्डारपालों द्वारा सामग्री जमा नोट समुचित रूप से संधारित नहीं किये गये थे क्योंकि कुछ मामलों में अपूर्ण/रिक्त सामग्री जमा नोट भण्डारपालों द्वारा हस्ताक्षरित किये गये थे जबकि कुछ मामलों में सामग्री जमा नोट पर प्राप्तिकर्ता के प्रति-हस्ताक्षर नहीं थे।

सरकार ने कहा कि उप-खंड स्तर पर अभिलेखों के उचित संधारण हेतु आईटी आधारित प्रणाली सॉफ्टवेयर लागू किया जायेगा। तथापि, उत्तर चयनित उप-खंडों द्वारा अपूर्ण अभिलेखीकरण के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणी में रेखांकित कमियों/खामियों के संबंध में मौन था।

भण्डार नियमावली के प्रावधानों एवं उच्च प्रबंधन द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना करते हुये सामग्री जारी करने एवं लेखाकंन के कुछ उदाहरण स्वरूप मामले नीचे वर्णित हैः

फीफो विधि अपनाये बिना सामग्री की मदें जारी करना

2.19.6 डिस्कॉम्स के अध्यक्ष ने निर्देश जारी (अगस्त 2016) किये कि सभी भण्डार मदें विशेषतया गारंटी अवधि वाक्यांश के अंतर्गत आने वाली सामग्री यथा ट्रांसफॉर्मर्स, सीटीपीटी सेट एवं विद्युत मीटर *प्रथम आगत प्रथम निर्गत* (फीफो) विधि से जारी की जानी चाहिये ताकि कार्यक्षेत्र में भण्डार का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने सामग्री जारी करने के लिये फीफो विधि की अनुपालना नहीं की जिसके कारण पूर्व के वर्षों से संबंधित सामग्री भण्डार में पाई गई जबकि बाद में प्राप्त हुई सामग्री जारी कर दी गई थी।

41 (i) सराधना, (ii) पुष्कर, (iii) झाड़ौल, (iv) भिंडर, (v) मावली, (vi) आरएपीडीआरपी-उदयपुर, (vii) श्रीमाधोपुर, (viii) रींगस, (ix) पलसाना, (x) लक्ष्मणगढ़, (xi) भदेसर, (xii) डूंगला एवं (xiii) बड़ी सादड़ी।

एसीओएस अजमेर शहर के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि भण्डार के आंतरिक निरीक्षण के दौरान एसीओएस ने 2014-15, जुलाई 2016 से सितम्बर 2016 एवं 2017-18 की अवधि में क्रमशः 300, 1660 एवं 2825 तीन फेज मीटर अतिरिक्त पाये। इसके अतिरिक्त, स्टॉक सत्यापक ने भी 2013-17 की अवधि के लिये भण्डार का भौतिक सत्यापन किया था। तथापि, स्टॉक सत्यापक ने नवम्बर 2014 से जनवरी 2016 की अवधि के दौरान केवल 178 मीटर अतिरिक्त पाये तथा फरवरी 2016 से मार्च 2017 के दौरान भण्डार में पड़े मीटरों की वास्तविक संख्या एवं लेखों में शेष (460 मीटर) में कोई अंतर नहीं पाया।

यह दर्शाता है कि भण्डार की मदों के सत्यापन हेतु निर्दिष्ट प्रणाली एवं नियंत्रणों की उचित रूप से पालना नहीं की गई थी क्योंकि स्टॉक सत्यापक भण्डार के भौतिक सत्यापन के दौरान अतिरिक्त मीटर पकड़ने में असफल रहे जो कि एसीओएस द्वारा भण्डार के आंतरिक निरीक्षण के दौरान पाये गये। तत्पश्चात, भण्डार के सत्यापन के दौरान एसीओएस ने 2825 अतिरिक्त मीटर (मार्च 2013 में क्रय किये गये 2000 मीटरों सहित) पाये (जनवरी 2018)। इस प्रकार, कमजोर सामग्री नियंत्रण के कारण ₹ 1.15 करोड़ मूल्य के मीटरों, जो कि भण्डार में अनुपयोगी पड़े रहे, की अधिकांश गारंटी अवधि (पांच वर्ष) समाप्त हो गई।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि तीन फेज मीटर अतिरिक्त पाये गये क्योंकि मीटर क्रम संख्या के आधार पर जारी नहीं किये गये थे तथा इस प्रकार सामग्री जारी करने की फीफो प्रणाली नहीं अपनाई गई। तथापि उत्तर भण्डार सत्यापकों द्वारा आंतरिक निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करने के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणी में रेखांकित की गई कमियों/ त्रुटियों के संबंध में मौन था।

जारी की गई/उपलब्ध सामग्री का दोषपूर्ण लेखांकन

2.19.7 निम्नलिखित मामले देखे गये जहां कम्पनी द्वारा जारी की गई/ उपलब्ध सामग्री के उचित लेखांकन को सुनिश्चित नहीं किया गयाः

- चार[42] चयनित उप-खंडों के भण्डार रजिस्टरों की संवीक्षा एवं भंडारों में उपलब्ध सामग्री के संयुक्त निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि भण्डार रजिस्टरों में दर्शाया (अप्रैल 2018) गया सामग्री का अंतिम शेष भण्डार में पाये गये स्टॉक के शेष से अलग था। संयुक्त निरीक्षण के दौरान, उप-खंडों के भण्डार पर भौतिक रूप से उपलब्ध 134 सामग्री मदों का निरीक्षण किया गया जिसमें से ₹ 1.86 करोड़ मूल्य की 97 मदों का स्टॉक, स्टॉक रजिस्टरों में दर्शाये गये शेषों की तुलना में अतिरिक्त पाया गया। यह दर्शाता है कि भण्डारपालों ने भण्डार में पड़ी सामग्री को गेट पास जारी करके कार्यों को जारी करना दर्शाया। कनिष्ठ अभियंता भी स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं कर रहे थे तथा उप-खंड के लेखों में स्टॉक शून्य दर्शाया गया था।
- एसीओएस अजमेर शहर के कार्मिकों के साथ किये गये संयुक्त निरीक्षण (22 फरवरी 2018) के दौरान हमने पाया कि दो प्रकार (7/10 एमएम एवं 7/8 एमएम) का 52.80 एमटी (1056 बंडल) जीआई स्टे वायर भण्डार में छः स्थानों पर मिला कर खुले में डाल दिया गया जबकि स्टॉक रजिस्टर उसी दिन इन वायर्स का शेष शून्य दर्शा रहे थे। अभिलेखों की आगे संवीक्षा से उजागर हुआ कि दोनों प्रकार के वायर्स का संपूर्ण उपलब्ध स्टॉक मांग-पत्र के माध्यम से उप-खंडों को जारी किया जा चुका था

42 बड़ी सादड़ी, भदेसर, मावली एवं भिंडर।

तथा भण्डार जारी करने के प्रपत्र (एसआईएन) भी सृजित किये जा चुके थे। यह दर्शाता है कि सृजित किये गये मांग-पत्र एवं गेट पास असली नहीं थे। इसके अतिरिक्त, भण्डार सत्यापक ने अप्रैल 2013 से अक्टूबर 2014, नवम्बर 2014 से जनवरी 2016 एवं फरवरी 2016 से मार्च 2017 तक की अवधि हेतु किये गये तीन भौतिक सत्यापनों के दौरान इन स्टे वायर्स का सत्यापन नहीं किया।

- एसीओएस अजमेर शहर के मामले में, एसीओएस अजमेर शहर पर जीआई वायर (8 एसडब्ल्यूजी) का शेष 1 अप्रैल 2013 एवं 31 मार्च 2018 को क्रमशः 263.19 एमटी एवं 53.29 एमटी दर्शाया गया। हमने पाया कि सहायक अभियंता (मीटर जांच) अजमेर ने एसीओएस अजमेर शहर को 60 किलोग्राम जीआई वायर (8 एसडब्ल्यूजी) जारी करने हेतु एक मांग पत्र भेजा (8 अगस्त 2013) जो कि हाथ से बनाये गये गेट पास के आधार पर जारी कर दिया गया। हमने पाया कि गेट पास में 60 किग्रा के स्थान पर गलत रूप से 60 एमटी जीआई वायर जारी करना दर्शाया (21 सितम्बर 2013) गया। तथापि, 59.94 एमटी (1199 बंडल में) अतिरिक्त वायर जारी करने का लेखा भण्डार लेखा अनुभाग द्वारा इंगित नहीं किया गया तथा 2013-14 के पश्चात की अवधि के स्टॉक खाते का सत्यापन मांग-पत्रों एवं सामग्री जारी करने के प्रपत्रों से कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, स्टॉक सत्यापक ने भी 2013-18 की अवधि के दौरान एसीओएस अजमेर शहर का तीन बार भौतिक सत्यापन किया परंतु इस प्रकार की गलती इंगित नहीं की।

यह दर्शाता है कि कम्पनी ने भण्डार अभिलेखों के संधारण एवं निगरानी हेतु एक सुदृढ़ प्रणाली नहीं अपनाई थी।

सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उप-खंड स्तर पर सामग्री का लेखांकन उचित रूप से नहीं किया जा रहा है तथा कहा कि सामग्री के उचित लेखांकन हेतु आईटी आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी अथवा प्राप्त सामग्री के समाशोधन एवं कार्यक्षेत्र में सामग्री के उपयोग की निगरानी हेतु एसीओएस को निर्देश जारी किये गये हैं। यह भी स्वीकार किया गया कि भूलवश स्टे वायर का लेखा नहीं किया गया तथा जीआई वायर की मात्रा अभिलेखों में गलत दर्ज की गई थी। तथापि, जीआई वायर के अनुचित लेखे की गलती को सुधार लिया गया है। तथापि, उत्तर भण्डार के भौतिक सत्यापन के दौरान इन त्रुटियों को नहीं पकड़ पाने के संबंध में मौन था।

भण्डार का भौतिक सत्यापन

2.19.8 भण्डार नियमावली के वाक्यांश 11.2 निर्धारित करता है कि मुख्य लेखाधिकारी/आंतरिक लेखापरीक्षा के नियंत्रण में काम कर रहे स्टॉक सत्यापनकर्ताओं द्वारा एसीओएस और उप-खण्डीय स्टोर्स में सामग्री का वार्षिक भौतिक सत्यापन (पीवी) करना है। हमने देखा कि भण्डारों का भौतिक सत्यापन वार्षिक रूप से नहीं किया गया था। 2013-18 में कुल 12 एसीओएस में से, छः[43] एसीओएस, तीन[44] एसीओएस और तीन[45] एसीओएस पर क्रमशः एक बार, दो बार और तीन बार भौतिक सत्यापन किया गया। इस प्रकार, 2013-18 के

43 एसीओएस चित्तौड़गढ, झुंझुनू, प्रतापगढ, अजमेर जिला, डूंगरपुर और बाँसवाड़ा।

44 एसीओएस सीकर, उदयपुर और राजसमंद।

45 एसीओएस अजमेर शहर, नागौर और भीलवाडा।

दौरान स्टॉक सत्यापनकर्ताओं ने 60[46] भौतिक सत्यापन की आवश्यकता के खिलाफ केवल 21 भौतिक सत्यापन किए और ₹ 93.21 लाख की कमी और ₹ 106.13 लाख के आधिक्य की सूचना दी। भौतिक सत्यापन में शामिल की गई समयावधि भी एक से चार वर्ष के बीच थी। हमने देखा कि 13 भौतिक सत्यापनों के दौरान, स्टॉक सत्यापनकर्ताओं ने स्टोर की वस्तुओं को 18.12 प्रतिशत (उदयपुर एसीओएस) से 96.63 प्रतिशत (भीलवाड़ा एसीओएस) के बीच कवर किया, जबकि शेष आठ भौतिक सत्यापन रिपोर्टों में सत्यापन में समाविष्ट/अपवर्जित वस्तुओं की स्थिति का वर्णन नहीं किया गया था। हमने आगे देखा कि 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए पिछले दस वर्षों की अवधि के दौरान, 15 चयनित उप-मण्डलीय स्टोरों में, कोई भौतिक सत्यापन (तीन उप-मण्डलों जैसे 2010-11 में डूंगला और 2016-17 में पुष्कर और सराधना को छोड़कर) नहीं किया गया था।

इस प्रकार, कम्पनी ने वार्षिक आधार पर एसीओएस और उप-खण्डीय स्टोर्स का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित नहीं किया। कम्पनी ने भौतिक सत्यापन रिपोर्टों के लिए एक समान प्रारूप भी विनिर्दिष्ट नहीं किया था और ये रिपोर्टें अलग-अलग प्रारुप में बनाई जा रही थी। भण्डारों का समय पर भौतिक सत्यापन ना करने से भण्डारों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और निगरानी प्रभावित हुई।

सरकार ने इन तथ्यों को स्वीकार किया कि लेखापरीक्षा कर्मचारियों की कमी के कारण वार्षिक रूप से भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका और स्टोर मैन्युअल के अनुसार प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन करने के लिए कम्पनी की लेखापरीक्षा दल को मजबूत करने का आश्वासन दिया।

भण्डार की आंतरिक जांच

2.19.9 भण्डार नियमावली के वाक्यांश 11.1 प्रदान करता है कि सामग्री का आवधिक भौतिक सत्यापन स्टोरकीपर/एसीओएस द्वारा इस तरह करना होता है कि सभी बिन कार्डस को वर्ष में कम से कम तीन बार चैक किया जाए और स्टोर्स की मात्रा बहीखाता के साथ मिलान किया जाए। अध्यक्ष (डिस्कॉम्स), ने एसीओएस / स्टोर अधीक्षक (एसएस) को, उच्च मूल्य की वस्तुओं जैसे कंडक्टर ड्रम्स, केबल ड्रम्स, वितरण ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्मर ऑयल ड्रम्स, सीटीपीटी सेट इत्यादि के संबंध में स्टोर्स के आंतरिक भौतिक सत्यापन के लिए भी निर्देशित (1 सितम्बर 2016) किया। निर्देशों के अनुसार,एसीओएस/एसएस को हर महीने कम से कम अन्य पांच क्रमरहित ढंग से चयनित स्टोर आइटम्स का भौतिक सत्यापन करना होता है।

अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, हमने देखा कि एसीओएस/एसएस/स्टोर कीपर्स ने स्टोर मैन्युअल के प्रावधानों और अध्यक्ष, डिस्कॉम्स के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया क्योंकि 2013-18 की अवधि के दौरान सामग्री के आवधिक सत्यापन के लिए आंतरिक निरीक्षण रिपोर्टें नहीं बनाई गई थी। हालांकि, एसीओएस/एसएस/स्टोरकीपर्स ने चुनिंदा मामलों[47] में स्टोरों का आंतरिक निरीक्षण किया था। हमने 2013-18 में दो उदाहरणों में, जहां चयनित एसीओएस ने भण्डारों का आंतरिक निरीक्षण किया और सामग्री में कमी/अधिशेष मिली, में निम्न कमियाँ पाई गई:

- चित्तौड़गढ़ एसीओएस ने ₹ 69.10 लाख मूल्य के 67 स्टोर आइटम्स अधिशेष घोषित किए और इन वस्तुओं को स्टॉक में शामिल किया। इन वस्तुओं में से, 19 पुराने और

---

46 12 एसीओएस * 5 वर्ष।

47 एसीओएस चित्तोड़गढ में 12 मामले, एसीओएस सीकर में 5 मामले, एसीओएस उदयपुर में 18 मामले तथा एसीओएस अजमेर शहर में 44 मामले।

उपयोग योग्य वस्तुओं को शून्य मूल्य पर दिखाया गया था। इसके अलावा, दो स्टोर आइटम्स यानी 465 ट्रांसफॉर्मर्स (198 पुराने और उपयोग करने योग्य, 168 अमितव्ययी और 99 क्षतिग्रस्त अमॉरफॉस ट्रांसफॉर्मर्स) और 452 एनर्जी मीटर (तीन फेस) भी अधिशेष घोषित किए गए थे। हमने देखा कि एसीओएस ने बिना गारंटी अवधि की सीमा सुनिश्चित किये अतिरिक्त मीटर जारी कर दिए।

- अजमेर सिटी एसीओएस ने ₹ 2.44 करोड़ के 73 स्टोर आइटम्स[48] जैसे एनर्जी मीटरों, केबल, कंडक्टर आदि अधिशेष घोषित किये । इसमें मुख्य रूप से 5385 तीन फेस और 1552 सिंगल फेस एनर्जी मीटर, विभिन्न रेटिंग की 12.418 किलोमीटर केबल और 80.319 किलोमीटर कंडक्टर शामिल थे। हमने देखा कि गारंटी अवधि अंतिम खरीद की तारीख से एनर्जी मीटर के लिए पांच साल और केबल के लिए 18 महीने थी। स्टोर में टेंडर संख्या और प्राप्ति की तारीख की अनुपस्थिति में, केबलों के लिए गारंटी अवधि के पूरा होने का पता नहीं लगाया जा सका।

इस प्रकार, स्टोर की ज्यादातर वस्तुओं की अधिशेष/कमी की पहचान इंगित करती है कि स्टोर वस्तुओं को जारी करने और उनके लेखांकन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया गया था। हमने देखा कि एसीओएस ने भविष्य में इस तरह की कमियों को नियंत्रित करने के लिए, स्टोर में कमजोर लेखांकन के कारणों का विश्लेषण नहीं किया। इसके अलावा, एसीओएस ने मुख्य लेखा अधिकारी, आंतरिक लेखा परीक्षा (सीएओ /आईए) को भण्डार नियमावली में निर्धारित किये अनुसार, विचलनों के लेखांकन के लिए मंजूरी नहीं ली।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि सामग्री के यादृच्छिक भौतिक सत्यापन के लिए आवश्यक आंतरिक निरीक्षण करने के लिए सभी एसीओएस को निर्देश जारी किए गए हैं और एसीओएस ने विशेष रूप से उच्च मूल्य के लिए सामग्री के मासिक यादृच्छिक भौतिक सत्यापन करना शुरू कर दिया है। इसमें आगे कहा है कि एसीओएस अजमेर और चित्तौड़गढ़ द्वारा अधिशेष घोषित सामग्री के अनधिकृत लेखांकन के मामले में, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित **(नवम्बर 2018)** है।

सामग्री की अधिशेष/कमी का समायोजन

2.19.10 भण्डार नियमावली के अनुसार सामग्री की कमी और अधिशेष का समायोजन क्रमशः स्टोर इश्यू नोट्स (एसआईएन) और स्टोर इश्यू रिसीप्ट (एसआईआर) के द्वारा करना होता है। संबंधित सहायक अभियंताओं/सहायक स्टोरकीपरों को सामग्री की ऐसी कमी/अधिशेष का औचित्य प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। अधीक्षक अभियंता (आई एंड एस) को सामग्री की कमी/अधिशेष के कारणों की जांच करना और सामग्री की कमी के परिणामस्वरूप होने वाली हानियों को बट्टे खाते में डालने के लिए स्वीकृति जारी करना आवश्यक था। इसके अलावा, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट्स में इंगित की गई सामग्री की अधिशेष/कमी को एक महीने में या कम से कम संबंधित वित्तीय वर्ष के समापन पर समायोजित किया जाना आवश्यक है।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, ध्यान में आया कि 31 मार्च 2017 को सामग्री की कुल असमायोजित कमियाँ और अधिशेष क्रमशः ₹ 0.96 करोड़ और ₹ 1.11 करोड़ था। हमने पाया कि संबंधित प्राधिकारियों ने इन सामग्रियों की कमियों या अधिशेषों के कारणों की जांच नहीं की। इसके अलावा, इन कमियों/अधिशेषों का समायोजन भी नहीं किया गया। सामग्री की

48 इनमें संयुक्त जांच में अधिशेष पाये गये जीआई स्टे वायर शामिल है।

कमियों/अधिशेषों, सामग्री का अनुचित लेखांकन को दर्शाती है। इन सामग्रियों के उचित प्रलेखन और लेखांकन के अभाव में, सामग्रियों की चोरी और दुरुपयोग की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि, जाँच करना और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना, एक समय लगने वाली प्रक्रिया होने के कारण, अधिशेषों और कमियों का समायोजन नहीं किया जा सका और आश्वासन दिया कि निर्धारित कार्यक्रम के भीतर इस तरह के समायोजन को अंतिम रूप देने के लिए लगने वाली समयावधि को कम करने के प्रयास किए जाएंगे। इसने आगे कहा (नवम्बर 2018) कि दो एसीओएस (झुंझुनु एवं उदयपुर) में कमियों/अधिशेषों का समायोजन कर लिया गया है तथा शेष एसीओएस में आवश्यक समायोजन की प्रक्रिया जारी है जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा।

अधिशेष प्रापण के कारण निष्क्रिय सामग्री

2.19.11 एसीओएस, उप-खण्डीय स्टोर्स के अभिलेखों की संवीक्षा और भौतिक सत्यापन रिपोर्टों से पता चलता है कि क्षेत्रीय कार्यालयों से मांग ना होने के कारण कई तरह की सामग्री अप्रयुक्त रही। यह इंगित करता है कि सामग्री आवश्यकता से अधिक प्राप्त की गई थी। कुछ सांकेतिक मामले, जो कमजोर सामग्री प्रबंधन को इंगित करते हैं और जिसके परिणामस्वरूप सामग्री के अधिशेष क्रय के कारण ₹ 9.11 करोड़ की धनराशि अवरूद्ध हुई की अनुबंध-5 पर चर्चा की गई है।

सरकार/कम्पनी से उतर प्रतीक्षित (**नवम्बर 2018**) है।

भण्डार मदों का निष्पादन

2.20 कम्पनी मुख्यतया तीन भण्डार मदों जैसे वितरण ट्रांसफॉर्मर्स, करंट ट्रांसफॉर्मर्स पोटेन्शियल ट्रांसफॉर्मर्स (सीटीपीटी), वेक्यूम सर्किट ब्रेकर्स (वीसीबी) की प्राप्ति करता है जिसमें आपूर्तिकर्ता को भण्डार मदों के गारंटी अवधि में खराब हो जाने पर मरम्मत करना/बदलना पड़ता है। कम्पनी के लिये खराब हुए सामान की समय पर मरम्मत करवाना/बदलवाना सुनिश्चित करना आवश्यक होता है क्योंकि खराब/विफल भण्डार मदों की मरम्मत करवाने/बदलवाने में देरी, नई सामग्री की प्रापण की आवश्यकता को बढा देती है। देरी की दशा में, ऐसे खराब/विफल भण्डार मदों की प्रभावी गारंटी अवधि को भी देरी की सीमा तक घटा देती है।

लेखों की जांच के दौरान, इन तीन भण्डार मदों के निष्पादन के संबंध में निम्नलिखित कमियां पाई गईः

वितरण ट्रांसफॉर्मर्स की उच्च विफलता दर

2.20.1 ट्रांसफॉर्मर, वितरण नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह विद्युत वितरण नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके खराब होने से उपयोगिता को ना केवल वित्तीय नुकसान होता है, बल्कि आपूर्ति में रुकावट होने से उपभोक्ता संतुष्टि पर विपरीत प्रभाव डालता है। वितरण ट्रांसफॉर्मर्स (डीटी) की उच्च विफलता दर कई कारणों के मेल से होती है जैसे डीटी पर अधि भार, उचित तरीके से अर्थिंग एवं सुरक्षा ना होना, उचित फ्यूज ना होना, अनुपयुक्त सुरक्षात्मक अनुरक्षण आदि। उचित विश्वसनीयता के लिए, ऊर्जा मंत्रालय

(एमओपी), भारत सरकार ने डीटी विफलता दर 1.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम रखने का निर्देश दिया था।

निम्नलिखित तालिका 2013-18 की अवधि में स्थापित किये डीटीज की संख्या, विफल हुए डीटीज की संख्या, और डीटी की विफलता दर को दर्शाती है :

वर्ष	वर्ष के शुरू में स्थापित वितरण ट्रान्सफॉरमर्स की संख्या	गारंटी अवधि और गारंटी अवधि के पार विफल हुए वितरण ट्रांसफॉर्मर्स की संख्या			वितरण ट्रांसफॉर्मर्स की विफलता दर (प्रतिशत में)		
		गारंटी अवधि	गारंटी अवधि के पार	कुल	गारंटी अवधि	गारंटी अवधि के पार	कुल
2013-14	314077	17023	22973	39996	5.42	7.31	12.73
2014-15	390077	17908	29975	47883	4.59	7.68	12.27
2015-16	420169	19183	28096	47279	4.57	6.69	11.25
2016-17	453795	20602	31970	52572	4.54	7.05	11.58
2017-18	471390	16416	30787	47203	3.48	6.53	10.01
कुल		91132	143801	234933			

(स्त्रोत: कम्पनी की प्रबंधन सूचना तंत्र)

उपरोक्त से यह पता चलता है कि 2013-18 की अवधि के दौरान ट्रांसफॉर्मर्स की विफलता दर 10.01 प्रतिशत से 12.73 प्रतिशत थी जो कि ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई अधिकतम विफलता दर की तुलना मे काफी अधिक थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि ट्रांसफॉर्मर्स की उच्च विफलता दर को कम करने के लिये लोस रिडक्शन प्रोग्राम के तहत ट्रांसफॉर्मर्स के नवीनीकरण, भार स्तर के अनुसार क्षमता बढाने और उचित अर्थिंग के कार्य किये जा रहे है। आगे कहा कि 2018-19 में ट्रांसफॉर्मर्स की विफलता दर को पांच प्रतिशत तक कम करने के प्रयास किये जायेंगे।

गारंटी अवधि में विफल हुए वितरण ट्रांसफॉर्मर्स (डीटीज) की मरम्मत में देरी

2.20.2 डिस्कॉम्स समन्वय मंच (डीसीएफ) के निर्देशों (जनवरी 2010) के अनुसार, संबंधित उप-खण्डों के लिये गारंटी अवधि में विफल हुए डीटी को इसके विफल होने की तारीख से सात दिन के अंदर संबंधित एसीओएस में जमा करवाना आवश्यक था। इसके बाद, संबंधित आपूर्तिकर्ता को, गारंटी अवधि में विफल हुए डीटी को इसके विफल होने की सूचना के दिन से 60 दिनों के अंदर उठाना आवश्यक था और मरम्मत करके डीटी को, तत्परता से, विफल हुए डीटी को उठाने के दिन से अधिकतम 60 दिनों के अंदर संबंधित एसीओएस को वापिस सुपुर्द करेगा। देरी की दशा में, कम्पनी विफल डीटी की लागत को रोकने और देरी के लिये, विफल हुए डीटी की लागत का 0.50 प्रतिशत प्रति सप्ताह अधिकतम 10 प्रतिशत तक जुर्माने को कम्पनी के पास उपलब्ध निष्पादन गारंटी जमा में से अथवा आगामी निविदा में आपूर्तिकर्ता के भुगतान में से वसूल करने की हकदार होगी। इसके अतिरिक्त, डीटी की प्रापण के लिये जारी क्रय आदेशों में प्रावधान था कि डिस्पैच के दिन से 60 महिनों की अवधि की निष्पादन गारंटी होगी और लागत के बिना तीव्रता से मरम्मत/सुधार की जायेगी।

2013-18 की अवधि के विफल डीटी से संबंधित लेखो की संवीक्षा के दौरान ध्यान मे आया कि चार चयनित एसीओएस मे कुल 44919 डीटी गारंटी अवधि के भीतर विफल हुए। हमने 2013-18 के दौरान गारंटी अवधि में विफल हुए डीटी को उठाने/मरम्मत करने में निम्नलिखित कमियां पाई :

- मार्च 2018 तक कुल 44919 गारंटी अवधि में विफल हुए डीटीज में से 41246 डीटी (91.82 प्रतिशत) संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उठाये गये। हमने पाया कि आपूर्तिकर्ताओं ने 16001 डीटीज 60 दिनो की निर्धारित समयावधि के अंदर और बचे हुए 25245 डीटीज देरी से उठाये। आगे, आपूर्तिकर्ताओं ने मार्च 2018 तक 37751 डीटीज मरम्मत और वापिस सुपुर्द किये जिनमें से (31043 डीटी निर्धारित अवधि से पार मरम्मत किये शामिल) 2937 डीटीज ऐसे थे जो तीन से 12 वर्ष की देरी से वापस लौटाये। हमने यह भी पाया कि चयनित एसीओएस, 2013-18 के दौरान कुल विफल डीटी का केवल 84.04[49] प्रतिशत की मरम्मत ही सुनिश्चित कर सका।
- बचे हुए गारंटी अवधि में विफल 3673[50] डीटी (8.18 प्रतिशत) जिनका मूल्य ₹ 18.50 करोड़ था, आपूर्तिकर्ताओं ने नही उठाये और मार्च 2018 तक एसीओएस के पास पड़े थे। इन 3673 डीटी में से 1118 डीटी एसीओएस के पास 3 से 16 वर्षों की अवधि से पड़े थे। हमने पाया कि कम्पनी ने दिये गये प्रावधानों के अनुसार इन विफल डीटीज की कीमत नहीं रोकी।
- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उठाए गए 41246 डीटीज में से, 3495[51] डीटीज (8.47 प्रतिशत) जिनका मूल्य ₹ 18.12 करोड़ था को 17 वर्ष की विचारणीय देरी हो जाने पर भी मरम्मत करके नहीं लौटाया। हमने पाया कि कम्पनी ने न तो इन विफल डीटीज की लागत रोकी और ना ही दिये गये प्रावधानों के अनुसार लागु होने वाली पेनल्टी काटी।
- आपूर्तिकर्ता अनुसार गारंटी अवधि में विफल ट्रांसफॉर्मर्स के रिकार्ड की जांच से पता चला कि 10 मूख्य आपूर्तिकर्ताओं[52] ने डीटी की मरम्मत करने में चूक की, को आगे 2013-18 में आपूर्ति आदेश दिये गये थे।

इस प्रकार, हमने पाया कि कम्पनी ने गारंटी अवधि में विफल हुए डीटीज की समय पर मरम्मत को सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्यवाही नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 36.62 करोड़ के डीटीज की मरम्मत नहीं की गई। इन गारंटी अवधि में विफल डीटीज की देरी की सीमा तक प्रभावी गारंटी अवधि भी कम हो गई।

49 मरम्मत और पुनः आपूर्ति वितरण ट्रांसफॉर्मर्स (37751)/ गारंटी अवधि में विफल कुल वितरण ट्रांसफॉर्मर्स (44919)×100

50 गारंटी अवधि मे विफल कुल वितरण ट्रांसफॉर्मर्स – गारंटी अवधि में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उठाये गये विफल कुल वितरण ट्रांसफॉर्मर्स।

51 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उठाये गये वितरण ट्रांसफॉर्मर्स– एसीओएस में मरम्मत कर और वापस लौटाये हुए वितरण ट्रांसफॉर्मर्स।

52 कोटशन प्राइवेट लिमिटेड (2009-18), राजस्थान ट्रांसफॉर्मर्स एवं स्वीच गीयर्स (2009-2018), श्री कृष्णा सुदर्शन ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड (2011-2018), शेरा एनर्जी (2010-17), अनुपम उद्योग (2014-18), रोशन इंजीनियर्स (2010-18), विजय इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (2008-18), यश ग्रेनाइटस (2015-18), मिश्रा इंडस्ट्रीज (2007-18) और मूर्ति मैटल इंडस्ट्रीज (2011-17) ।

सरकार ने कहा है कि गारंटी अवधि में विफल हुए डीटीज की मरम्मत के लिये आपूर्तिकर्ताओं को नियमित रुप से नोटिस जारी किये गये थे। इसने आगे कहा कि विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के गारंटी अवधि में विफल हुए डीटीज को ना उठाने के लिये भुगतान रोका गया और अनुबंध को अंतिम रुप देते समय, मरम्मत में देरी के लिये वसूली की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने आपूर्तिकर्ताओं से ऊपर वर्णित मामलों में दर्शायी गारंटी अवधि में विफल हुए डीटीज को उठाने और मरम्मत में देरी के लिये पेनल्टी की वसूली नहीं की थी और कम्पनी द्वारा गारंटी अवधि में विफल हुए डीटी को ना उठाने के लिये रोकी गई राशि को भी पहले ही रिलीज कर चूकी थी।

गारंटी अवधि में विफल हुए सीटीपीटी की मरम्मत में देरी होने पर आपूर्ति आदेश में जुर्माने के प्रावधान का अभाव

2.20.3 सीटीपीटी के आपूर्ति आदेशों में यह प्रावधान था कि सीटीपीटी की गारंटी अवधि इनकी प्राप्ति से 3 वर्ष होगी। विफल की सूचना प्राप्त होने पर, आपूर्तिकर्ता को विफल सीटीपीटी को 45 दिनो की अवधि के भीतर मरम्मत करना था। चार चयनित एसीओएस की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि 1 अप्रैल 2013 को 351 खराब सीटीपीटी, एसीओएस के पास पड़े थे और 1094 खराब सीटीपीटी 2013-18 के दौरान उप-खण्डों से प्राप्त हुए थे। इन 1445 खराब सीटीपीटी में से आपूर्तिकर्ताओं ने केवल 868 सीटीपीटी उठाये थे जबकि बचे हुए 577 सीटीपीटी अभी भी (मार्च 2018) एसीओएस के पास पड़े थे। आगे, आपूर्तिकर्ताओं ने केवल 754 सीटीपीटी 28 से 2177 दिनों तक की देरी से बदले थे जबकि शेष 114 सीटीपीटी अभी भी (मार्च 2018) आपूर्तिकर्ताओं के पास पड़े थे।

हमने देखा कि कम्पनी ने खराब सीटीपीटी की समय पर मरम्मत करवाने को सुनिश्चित नहीं किया। आगे इस अवधि में जारी किए गये क्रयआदेश भी दोषपूर्ण थे क्योंकि कम्पनी ने खराब सीटीपीटी को बदलने में देरी होने पर कोई पेनल्टी का प्रावधान शामिल नहीं किया था। इसके अतिरिक्त देरी की सीमा तक इन गारंटी अवधि में विफल हुए सीटीपीटी की प्रभावी गारंटी अवधि भी कम हुई है।

सरकार ने कहा कि गारंटी अवधि में विफल हुए सीटीपीटी की मरम्मत करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसने आगे कहा कि सीटीपीटी की मरम्मत में देरी होने पर चूक करने वाले आपूर्तिकर्ताओं से अनुबंध की सामान्य शर्तों के अनुसार वसूली की जायेगी। हालांकि उत्तर, आपूर्ति आदेशों मे, गारंटी अवधि विफल सीटीपीटी की मरम्मत में देरी होने पर पैनल वाक्यांश ना डालने के बारे में मौन था।

निष्पादन गारंटी अवधि मे विफल हुई वीसीबी की मरम्मत मे देरी

2.20.4 कम्पनी ने वीसीबी की आपूर्ति करने के लिये स्टेलमेक लिमिटेड (आपूर्तिकर्ता) को दो आदेश (सितंबर 2008 और जून 2010) टीएन-433 और टीएन-2064 दिये। क्रय आदेशो में वीसीबीज के संतोषजनक निष्पादन के लिये आपूर्ति की तिथि से 5/10 वर्षों की उत्पादक वारंटी का प्रावधान था। आपूर्तिकर्ता को शिकायत मिलने के 15 दिनों के भीतर वीसीबीज की खराबी को ठीक करना आवश्यक था। देरी की दशा में, क्रमशः 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह (टीएन-433) और तीस दिन तक की देरी के लिए ₹ 500 प्रतिदिन और तीस दिन से ज्यादा देरी की दशा ₹ 1000 प्रतिदिन (टीएन-2064) की पेनल्टी वसूल करनी थी। एसीओएस सीकर के लेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि 1 अप्रैल 2013 को एसीओएस के पास

14 खराब हुई वीसीबी पड़ी थी तथा 2013-18 की अवधि में उपखण्डों से 10 और खराब वीसीबी प्राप्त हुई थी। एसीओएस सीकर के पास कुल 24 खराब वीसीबी में से आपूर्तिकर्ता ने केवल 21 वीसीबीज 720 से लेकर 2988 दिनों की देरी से उठाई और शेष 3 वीसीबीज अभी भी (मार्च 2018) एसीओएस सीकर के पास पड़ी हुई है। इसके बाद आपूर्तिकर्ता ने केवल 11 वीसीबीज, 950 दिनों से लेकर 3218 दिनों[53] की देरी से बदली और शेष 10 वीसीबीज, 2595 दिन बीत जाने के बावजूद आपूर्तिकर्ता (फरवरी 2018) के पास पड़ी है।

हमने देखा कि कम्पनी ने खराब हुई वीसीबीज का समय पर मरम्मत करवाने के लिये उचित कार्यवाही जैसे वीसीबीज की लागत को रोक लेना और देरी की पेनल्टी काटना आदि नही की।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि कुल 24 वीसीबीज में से आपूर्तिकर्ता ने केवल 16 वीसीबीज की मरम्मत/प्रतिस्थापित किया है जबकि शेष आठ वीसीबीज अभी भी आपूर्तिकर्ता/भण्डार में पड़ी (जुलाई 2018) हैं। आगे बताया है कि मरम्मत की गई/बदली गई वीसीबीज के मामलों में वीसीबीज की लागत की 10 प्रतिशत राशि मरम्मत/प्रतिस्थापन में देरी के लिए रोकी हुई है जबकि शेष वीसीबी के मामले में वीसीबी नहीं उठाने/मरम्मत न किये जाने के कारण वीसीबी के मूल्य के बराबर राशि रोकी हुई है। आगे, वास्तविक पेनल्टी की राशि को अंतिम रुप दिया जा रहा है। यहाँ यह बताना भी उपयुक्त होगा कि कम्पनी के प्रबंधन ने कहा कि पेनल्टी को अंतिम रुप इसलिये नही दिया जा सका क्योंकि कई बार यह उपकरण की लागत से अधिक हो जाती है।

टर्नकी ठेकेदारों से अधिशेष सामग्री को स्वीकार करने में कमियां

2.20.5 कम्पनी ने विभिन्न टर्नकी कार्य दिये जिनमें ठेकेदार को बिलों की मात्रा (बीओक्यू) के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करनी थी और कार्य आदेशों के नियमों एवं शर्तों के अनुसार परियोजनाओं को पूरा करना था। अध्यक्ष, डिस्काम्स ने विभिन्न टर्नकी कार्यों के ठेकेदारों से अधिशेष/अप्रयुक्त सामग्री को स्वीकार करने के निर्देश जारी (फरवरी 2009) किये बशर्ते सामग्री अच्छी स्थिति में है एवं सीटीएल में सफल परीक्षण पूर्ण कर ली हो। डीसीएफ ने टर्नकी ठेकेदारों के द्वारा सामग्री कम जमा करवाने पर वसूली और अधिशेष जमा सामग्री पर भुगतान की दर का निर्णय (31 अगस्त 2010) लिया।

2013-18 में अंतिम रुप दिये गये 18 टर्नकी अनुबंधों के लेखो की संवीक्षा के दौरान हमारे ध्यान में आया कि टर्नकी ठेकेदारों ने कम्पनी के पास ₹ 22.51 करोड़ की अधिशेष सामग्री जमा की। ऐसे दृष्टांत देखे गये जिनमें टर्नकी ठेकेदारों से ₹ 10.47 करोड़ की अधिशेष सामग्री बिना आवश्यक अनुमति और सीटीएल टेस्टिंग के स्वीकार की। साथ ही, ₹ 1.24 करोड़ की सामग्री **अनुबंध-6** में दर्शाये अनुसार स्टोर में अप्रयुक्त पड़ी है। सरकार द्वारा दिये गये उत्तर को भी अनुबंध में शामिल कर लिया गया है।

सामग्री का अनुचित भंडारण

2.20.6 भण्डार संगठन की कार्य पद्धति को सुव्यवस्थित करने के लिए, अध्यक्ष डिस्कॉम्स ने सामग्री की चोरी और गायब करने से रोकने के लिये, सामग्री के उचित भण्डारण के निर्देश (सितंबर 2016) दिये। निर्देशो में आगे प्रावधान था कि एक ही तरह की सामग्री एक स्थान पर

53 आपूर्ति आदेश के अनुसार मरम्मत/बदलने की अनुमत अवधि 15 दिनों को छोड़कर।

रखना, भण्डार मदों का व्यवस्थित तरीके से ढेर लगाना, ज्वलनशील सामग्री जैसे पीवीसी केबल, ट्रांसफॉर्मर्स आदि को चालू विद्युत लाइनों/खतरनाक स्थानों से दूर रखना।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, हमने देखा कि चयनित एसीओएस और उपखण्डीय भण्डारों ने अध्यक्ष, डिस्कॉम के निर्देशों का पालन नहीं किया था और सामग्री का उचित तरीके से ढेर नही लगाया था और अव्यवस्थित तरीके से पडी हुई थी। सामग्री के अनुचित भंडारण के कारण भण्डार की कमी व अधिकता हुई जो कि समय-समय पर भण्डार सत्यापनकर्ताओं द्वारा उनकी भौतिक सत्यापन रिपोर्टों में दर्शाई गई थी। हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मर्स, केबल, सीटीपीटी और दूसरी ज्वलनशील सामग्री को उच्च तनाव लाइनों के नीचे संग्रहित किया गया था। निम्न चित्र में सामग्री के अनुचित संग्रहण/भंडारण को दर्शाया गया है:

(एसीओएस सीकर में उच्च तनाव लाइनों के नीचे सामग्री का ढेर)

(एसीओएस, उदयपुर में उच्च तनाव लाइनों के नीचे सामग्री का ढेर एवं एसीओएस अजमेर में पडी हुई सामग्री)

सरकार ने कहा (नवम्बर 2018) कि कम्पनी अपने एसीओएस व उपखण्डों को सामग्री के उचित रखरखाव हेतु समय-समय पर निर्देश जारी करती है। इसने आगे स्वीकार किया कि कुछ भण्डार गृहों पर स्थान की कमी के कारण सामग्री को उचित तरीके से नहीं रखा जा सका एवं एसीओएस पर उचित भण्डारण के प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही, उतारे गये/पुराने/अनुपयोगी सामग्री के निपटान की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है तथा एसीओएस पर स्थान की समस्या दूर करने हेतु अवशिष्ट सामग्री/अनुपयोगी सामान की ई-नीलामी पाक्षिक रूप से की जा रही है।

चोरी, आग और गबन से सामग्री का नुकसान

2.21 भण्डार नियमावली प्रदान करता है कि सामग्री के नुकसान के सभी मामले एसीओएस/एसई (आई एंड एस) और मुख्य लेखा अधिकारी-आंतरिक लेखा परीक्षा (सीएओ-आईए) को तुरंत सूचित किये जाने चाहिए और जांच को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार निपटाना चाहिए। सहायक अभियंता, एसीओएस को प्रारंभिक जांच करने, पुलिस में प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करवाने, बीमा कम्पनी से मुआवजे का दावा करने और विस्तृत रिपोर्ट को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, एफआईआर की कापी और बीमा कम्पनी से मुआवजे के दावे की प्रति के साथ अधीक्षण अभियंता (आई एंड एस) को भेजना आवश्यक था। अधीक्षण अभियंता (आई एंड एस) के लिए विस्तृत जांच का आदेश देने और जांच रिपोर्ट के आधार पर कारवाई करना भी आवश्यक था।

अभिलेखों की जांच के दौरान, निम्न कमियां ध्यान में आई :

- एसीओएस के मामले में, कम्पनी ने सूचित किया कि 2013-18 की अवधि में डीसीओएस ने, नौ चोरी की घटनाएँ और एक आग लगने जिसमे ₹ 24.10 लाख का नुकसान की सूचना दी। हमने देखा कि चोरी/आग के इन 10 मामलों में से चार घटनाओं में, संबंधित एसीओएस से सूचना मिलने के बावजूद पुलिस विभाग में 26 दिनों से 89 दिनों की देरी से एफआईआर दर्ज की जबकि एक मामले में एसीओएस के स्तर पर पुलिस विभाग को चोरी की सूचना देने में 36 दिनों की देरी हुई। एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त इन दस मामलों में (तीन अस्वीकार किए गए मामले) चोरी/आग से नुकसान से बीमा कम्पनी से कोई क्लेम प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2018)।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2018) कि एसीओएस पर चोरी/आग से हुआ नुकसान एसीओएस पर रखी सामग्री से तुलना करने पर काफी कम था। इसने आगे कहा कि कम्पनी दावों पुनर्भरण के हेतु बीमा कम्पनी से लगातार प्रयास कर रही है।

- उप-खंडीय स्तर पर सामग्री की चोरी के मामलों में, सीएओ-आईए ने सूचित (मई 2018) किया कि पिछले पांच वर्षों में केवल एक तांबे की चोरी का मामला (उप-खंड प्रतापगढ़ में) हुआ था। हालांकि, अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखा परीक्षा ने एसीओएस चित्तौड़गढ़ के 16 उप-खंडो में से 11 उप-खंडो में ₹ 1.35 करोड़ के 63 वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स की चोरी की पहचान की। इसके अतिरिक्त 10 उप-खंडो[54] में ₹ 0.45 करोड़ के विभिन्न सामग्री जैसे केबल, कंडक्टर, ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्मर्स तेल, लाइन सामग्री, लोहे की पिन, चैनल्स और आर्म्स आदि के लिए 14 दूसरे मामले भी मिले। उप-खंड स्तर पर ₹ 1.80 करोड़ की सामग्री की चोरी के बारे में प्रबंधन की जागरूकता का अभाव यह दर्शाता है कि कम्पनी के पास उप-खंडो के स्तर पर चोरी के मामलों में उचित निगरानी प्रणाली का अभाव था। आगे, उप-खंड ने उप-खंडीय स्तर पर रखी जाने वाली सामग्री की चोरी/आग/गबन की सुरक्षा के लिये बीमा पॉलिसियां नहीं ले रखी थी।

---

54 सहायक अभियंता निर्माण (उदयपुर), ऋषभदेव, आरएपीडीआरपी (उदयपुर), गिरवा, बडगांव, सरधाना, पुष्कर, भींडर, सावा और मंगलियावास।

सरकार/कम्पनी का उत्तर प्रतीक्षित (**नवम्बर 2018**) है।

- **2013-18** की अवधि के दौरान क्षेत्र में स्थापित सामग्री के मामले में, क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मर्स और दूसरी सामग्री की चोरी के मामलों की वरिष्ठ अधिकारियों की मासिक बैठको में नियमित रूप से चर्चा की गई जिसके अनुसार 2013-18 की अवधि के दौरान स्थापित ट्रांसफॉर्मर्स की चोरी के 4824 मामले, तेल चोरी के 936 मामले, कंडक्टर चोरी के 70 मामले सूचित किये गये थे। कम्पनी ने वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में संपत्ति चोरी के क्रमशः ₹ 5.04 करोड़, ₹ 2.17 करोड़ एवं ₹ 2 करोड़ का नुकसान दर्ज किया। हमने देखा कि 2013-14 में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में ट्रांसफॉर्मर्स चोरी के 202, तेल के 38 और कंडक्टर चोरी का एक मामला सूचित हुआ परन्तु चोरी से हुए नुकसान को लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध नही किया गया। इसके अतिरिक्त 2014-15 की अवधि मे ट्रांसफॉर्मर चोरी के 1795, तेल के 217 और कंडक्टर के 17 मामले सूचित हुए परन्तु कम्पनी की लेखा शाखा के पास इनका लेखांकन ब्योरा उपलब्ध नहीं था। यह इंगित करता है कि कम्पनी के पास चोरी के कारण सामग्री की हानि की बुकिंग के लिए उचित और ठोस लेखांकन प्रणाली का अभाव था।

सरकार/कम्पनी से उत्तर की प्रतीक्षा है। (**नवम्बर 2018**)

अवशिष्ट सामग्री का निपटान

2.22 भण्डार नियमावली में प्रावधान है कि उतारी गई सामग्री चाहे वो ठीक होने योग्य हो या ना हो सीओएस 24 में दर्ज करनी चाहिये। ठीक होने योग्य सामग्री स्टॉक में लेनी चाहिए जबकि ठीक ना होने योग्य रद्दी को सामग्री क्रेडिट नोट के द्वारा संबंधित एसीओएस के पास जमा करानी चाहिए। एसीओएस द्वारा स्टोर्स प्राप्ति नोट बनाया जाना चाहिये एवं अवशिष्ट सामग्री रजिस्टर में प्रविष्टि करनी चाहिये।

चयनित एसीओएस के 15 उप-खंडीय भण्डारों के लेखों कि संवीक्षा के दौरान पाया कि स्टोरकीपर ने उतारी गई सामग्री को सीओएस 24 में दर्ज नहीं किया। उप-खंडीय भंडारो ने सीओएस 24 में दर्ज किये बगैर सामग्री क्रेडिट नोट बनाये जो कि एसीओएस ने स्वीकार किये। यह इंगित करता है कि कबाड़ पर कोई नियंत्रण नहीं था क्योंकि लेखांकन उप-खंडीय भंडार के द्वारा एसीओएस में जमा कराई गई सामग्री के आधार पर किया गया। लाईन/परियोजनाओं के खंडित करने के समय प्राप्त वास्तविक सामग्री का कोई रिकार्ड नहीं था। भण्डार के निस्तारण नियमों में एसीओएस के लिये तिमाही सर्वे रिपोर्ट तैयार करना और निस्तारण की जाने वाली सामग्री की सिफारिश करना आवश्यक था। अधीक्षण अभियंता (आई एण्ड एस) भण्डार के लिए निस्तारण के अनुमोदन के लिये त्रैमासिक सर्वे रिपोर्टो का सार, निदेशक मंडल को भेजना आवश्यक था। हमने पाया कि अधीक्षण अभियंता (आई एण्ड एस) ने ,सर्वे रिपोर्ट का सार तैयार करके अनुमोदन हेतु निदेशक मंडल को प्रस्तुत नहीं किया। आगे एसीओएस द्वारा तैयार की गई सर्वे रिपोर्टो में मदों को निलामी के लिये बेकार हो जाने के कारण नहीं बताये।

सरकार ने अपने उत्तर में एसीओएस स्तर पर कम्पनी द्वारा अपनायी जा रही ई-नीलामी की प्रणाली का वर्णन किया है। परन्तु इसने विशेष लेखा-परीक्षा आपत्ति का उत्तर नहीं दिया है।

अवशिष्ट सामग्री की बिक्री

2.22.1 कम्पनी, 2014-15 तक एसीओएस स्तर पर अवशिष्ट सामग्री की खुली नीलामी आयोजित करती थी। इसके साथ-साथ अवशिष्ट सामग्री की मैटल एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एसएसटीसी) के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बोली को भी अपनाया जाता था। घोषित किये गये और लगाई गई बोली का विश्लेषण करने से पता चला कि 2013-14 से 2017-18 की अवधि में एसीओएस की सर्वे रिपोर्टों के आधार पर ₹ 141.40 करोड़ की सामग्री को अवशिष्ट सामग्री घोषित किया गया। 2013-18 की अवधि में अवशिष्ट सामग्री की नीलामी से ₹ 88.47 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।

ट्रांसफॉर्मर के निस्तारण के फैसले में देरी

2.22.2 अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि कम्पनी इस समिति का गठन करने के बावजूद फीडर रिनोवेशन कार्यक्रम (एफआरपी) में उतरे ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत एवं निस्तारण सुनिश्चित नहीं कर सकी। इसने अमारफॉस और ताँबे के ट्रांसफॉर्मर्स के निस्तारण, 5 केवीए सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर्स के निस्तारण में देरी और प्रयोग ना होने वाले पावर ट्रांसफॉर्मर्स को सर्वे रिपोर्टों में अवशिष्ट सामग्री घोषित करके बोली द्वारा बेचने का निर्णय नहीं किया। इस प्रकार के निर्णय लेने और आगे ₹ 8.40 करोड़ के ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत या निस्तारण की कार्यवाही में देरी के परिणामस्वरुप कम्पनी की काफी राशि अवरुद्ध हुई है और इसके अतिरिक्त कम्पनी के एसीओएस में अनावश्यक स्थान ग्रहण किया हुआ है। ये मामले पर विस्तार से **अनुबंध-7** में चर्चा की गई हैः

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि एफआरपी में उतारे गये ट्रांसफॉर्मर्स और अमारफास और तांबे के ट्रांसफॉर्मर्स के निस्तारण मामले में, कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। इसने अतिरिक्त गारंटी अवधि पार 5 केवीए ट्रांसफॉर्मर की नीलामी भी प्रक्रियागत है। तथापि, कम्पनी ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों के बारे में स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।

निष्कर्ष और सिफारिशें

निष्कर्ष

लेखा परीक्षा के निष्कर्षों में सामग्री की आवश्यकता के आंकलन और क्रय-प्रणाली में विभिन्न कमियों, जिसके कारण सामग्री की अमितव्ययता से खरीद, सामग्री का क्रय विनिर्देशों के अनुरूप नहीं था, आवश्यकता के बिना आपूर्ति अनुसूची से पहले सामग्री की प्राप्ति और उचित परीक्षण और निरीक्षण के बिना सामग्री की स्वीकृति आदि पर प्रकाश डाला है। कम्पनी ने किसी वैज्ञानिक सूची प्रबंधन प्रणाली को नहीं अपनाया था। सामग्री का संकटपूर्ण स्तर तय नहीं किया गया था और सामग्री के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए संचलन विश्लेषण नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप भंडारों में सामग्री निष्क्रिय पड़ी रही। सामग्री जारी करने और लेखांकन से संबंधित उचित रिकॉर्ड नहीं बनाया गया था और भौतिक सत्यापन की प्रणाली पर्याप्त नहीं थी जिसके कारण सामग्री की चोरी और गबन हुआ। कम्पनी आईटी आधारित सूची प्रबंधन प्रणाली को लागू नहीं कर सकी।

अनुशंसाएँ

यह अनुशंसा की जाती है कि कम्पनी को चाहिए किः

- क्रय नियमावली को राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 और उसके नियमों के अनुरूप संशोधित करे
- सामग्री की आवश्यकता के आंकलन की प्रक्रिया को कारगर बनाना ताकि सामग्री-क्रय आवश्यकताओं के अनुसार सुनिश्चित किया जा सके
- निर्धारित समय सीमा के भीतर निविदाओं को अंतिम रूप देना और अंतिम रूप देने में देरी के मामले में उच्च अधिकारियों की मंजूरी मांगी जानी चाहिए। अनुबंधों के टेंडरिंग और अवार्डिंग के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का सावधानीपूर्वक पालन करने की आवश्यकता है
- निरीक्षण और परीक्षण प्रक्रियाओं को मजबूत करना और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा तकनीकी विशिष्टताओं का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना
- सामग्री के कुशल प्रबंधन के लिए सामग्री नियंत्रण तकनीकों को अपनाना और सामग्री के बेहतर नियंत्रण और निगरानी के लिए निर्धारित रिकॉर्ड को सही तरीके से बनाए रखना
- निर्दिष्ट अंतराल पर सामग्री का भौतिक सत्यापन करना और भौतिक सत्यापन रिपोर्टों में बताई गई विसंगतियों पर सुधारात्मक कार्यवाही करना
- आईटी आधारित सामग्री प्रबंधन प्रणाली को लागू करना और
- सामयिक रीति से कबाड़ का निपटान।